मूल्य, कृषि और खाद्य प्रबंधन

05
अध्याय

लम्बी अवधि तक उच्च स्तर पर रहने के बाद, अंत में मुद्रास्फीति का स्तर नीचे आ रहा है। 2013-14 के दौरान 6 प्रतिशत के औसत के मुकाबले, वर्ष 2014-15 (अप्रैल-दिसंबर) में औसत थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) 3.4 प्रतिशत कम हुआ है। डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति ने, नवम्बर 2014 में शून्य प्रतिशत के कल्पित स्तर को छू लिया है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी कंज्यूमर प्राइस इंफ्लेशन (आधार 2012 = 100) जनवरी 2015 को 5.1 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच चुका था, जोकि भारतीय रिजर्व बैंक के नए मौद्रिक नीति ढांचे में दिए गए जनवरी 2015 के 8 प्रतिशत के लक्ष्य और जनवरी 2016 के 6 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है। मुख्य वस्तु समूह जिनके मूल्यों से उच्च मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है वे हैं, 'अण्डा, मांस और मछली', 'फल और सब्जियां' और ईंधन इन सभी में कमी आई है। वह प्रमुख कारक जिनसे सख्त मुद्रास्फीति नीचे गिर रही थी वह है, वैश्विक वस्तु मूल्यों में गिरावट, विशेष रूप से कच्चे तेल में, ग्रामीण मजदूरी विकास दर में गिरावट, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में कम मात्रा में वृद्धि के रूप में अर्थव्यवस्था में सुस्त गतिविधि। अब तक उच्च खाद्य मुद्रास्फीति ने बढ़ी हुई मुद्रास्फीति में योगदान दिया है, नीति का केन्द्र बिन्दु कृषि क्षेत्र के समुत्थान को बढ़ाने और कमियों को खत्म करने, त्रुटियों को पहचानने तथा अववर्जन और निचली मुद्रास्फीति की स्थिरता के लिए वर्तमान खाद्य नीति द्वारा विभिन्न विकृतियों को दूर करने पर होना चाहिए कृषि क्षेत्र में विकास में बढ़ोतरी गैर-मूल्य कारकों के कारण हुई है। कृषि वस्तुओं के बाजारों को निर्माताओं और उपभोक्ताओं, दोनों के हित के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। शांता कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा खाद्य नीति में प्रस्तावित परिवर्तनों पर उपयोगी सिफारिशें दी गई हैं। मुद्रास्फीति को जोखिम, अनिश्चितताओं जैसे मानसून, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें और रुपए के मूल्य में स्थिरता, मुख्यतया यूएस फैडरेशन द्वारा मौद्रिक तंगी से उत्पन्न होती है।

डब्ल्यूपीआई और सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई)

5.2 थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मापी गई शीर्ष-मुद्रास्फीति (मूल वर्ष 2004-05=100) खाद्य और ईंधन मूल्यों के निचले स्तर पर होने के कारण वर्ष 2011-13 के दौरान 6-9 प्रतिशत के लगभग उच्च स्तर पर बनी रही और वर्ष 2014-15 (अप्रैल-दिसंबर) में सामान्य स्तर पर 3.4 प्रतिशत कम रही। वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही के दौरान, मुख्यतया खाद्य और ईंधन के बढ़े हुए मूल्यों के कारण शीर्ष-मुद्रास्फीति 5.8 प्रतिशत थी। वर्ष 2014-15 के दूसरी और तीसरी तिमाहियों में डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति कम होकर क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत हो गयी। (सारणी 5.1)। डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति (भार 24.3 प्रतिशत), जोकि वर्ष 2013-14 के दौरान 9.4 प्रतिशत के

सारणी 5.1 : डब्ल्यू पी आई में तिमाही-वार मुद्रास्फीति के विस्तृत समूह (प्रतिशत) में

	बाट	2013-14				2014-15		
		क्यू 1	क्यू 2	क्यू 3	क्यू 4	क्यू 1	क्यू 2	क्यू 3 (पी)
सभी वस्तुएं	**100.0**	**4.8**	**6.6**	**7.1**	**5.4**	**5.8**	**3.9**	**0.5**
I. मुख्य वस्तुएं	20.1	6.5	12.4	13.6	6.8	7.5	4.1	0.4
II. ईंधन और ऊर्जा	14.9	7.7	11.9	10.8	10.1	9.6	4.4	-4.0
III. निर्मित उत्पाद	65.0	3.3	2.4	2.9	3.3	3.8	3.6	2.0
सभी खाद्य	24.3	7.7	11.8	11.9	6.2	6.9	5.0	2.5
मुख्य मुद्रास्फीति	55.0	2.6	2.4	3.1	3.7	4.0	3.6	2.0

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय (डीआईवीपी) पी. : अनंतिम

उच्च स्तर पर रही, अनाज, अण्डा, मांस और मछली के मूल्यों में मामूली गिरावट आने के कारण और दिसंबर 2013 (मार्च 2014 के अलावा) से सब्ज़ियों के मूल्यों में भारी गिरावट आने से अप्रैल-दिसंबर 2014 में 4.8 प्रतिशत के संतुलित आंकड़े पर आ गई। क्योंकि ईंधन डब्ल्यू पी आई का बड़ा हिस्सा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) (मूल वर्ष 2010=100) के मुकाबले ईंधन मूल्यों के गिरने से डब्ल्यू पी आई में भारी गिरावट लेके आई। वर्ष 2013-14 से अब तक निर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति सीमित बनी रही। डब्ल्यूपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति (अनंतिम) जनवरी, 2015 को -0.4 प्रतिशत रही। वित्तीय वर्ष में बिल्ड-अप मुद्रास्फीति पर जनवरी, 2015 तक -1.1 प्रतिशत रहा जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में 5.2 प्रतिशत का बिल्ड-अप पर रहा।

5.3 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने 2010 से 2012 तक आधार वर्ष का संशोधन किया (बॉक्स 5.1) और जनवरी, 2015 की मुद्रास्फीति आंकड़े के साथ 12 फरवरी, 2015 को संशाधित श्रृंखला जारी की। संशोधित श्रृंखला के संदर्भ में सीपीआई मुद्रास्फीति जनवरी, 2015 को 5.1 प्रतिशत रही। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी 2011 से, ग्रामीण शहरी और मिश्रित राज्य-वार और अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करना शुरू कर दिया है। पिछले 2 वर्षों से सीपीआई (मिश्रित) (मूल वर्ष 2010=100) द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति बराबर 9-10 प्रतिशत के आसपास बनी रही। डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति की भांति, वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही से सी पी आई भी संतुलित अर्थपूर्ण रही। वर्ष 2014-15 की तीसरी तिमाही (सारणी 5.2) में सीपीआई (मिश्रित) मुद्रास्फीति पिछले समय से अब तक के न्यूनतम अर्थात् 5 प्रतिशत तक गिर गई। आरबीआई ने अप्रैल 2014 से शीर्ष सीपीआई मुद्रास्फीति के लिए मौद्रिक नीति का आश्रय लेने की घोषणा की है। खुदरा कीमतों में निरंतर संतुलन का ध्यान रखते हुए, 15 जनवरी 2015 को अपने मौद्रिक रूख में नरमी लाते हुए, नीति रेपो दरों को 25 आधार बिंदु कम करने से यह 8 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत हो गया है।

5.4 अभी के वर्षों में खाद्य मुद्रास्फीति का स्थायित्व होना एक मुख्य कारक रहा है, जिसका योगदान उच्च शीर्ष मुद्रास्फीति के बने रहने में हैं। सभी राज्यों के खाद्य उप-समूह के अंदर, सभी वस्तुओं में और मौसमों में हुई वस्तुओं की मुद्रास्फीति में बड़ी भिन्नता रही है जो आपूर्ति की कमी दर्शाती है। ग्रामीण मजदूरी के विकास की उच्च दरों के

सारणी 5.2 : सीपीआई (मूल 2010=100) में तिमाही-वार मुद्रास्फीति के विस्तृत समूह (प्रतिशत) में

	बाट	2013-14				2014-15		
		क्यू 1	क्यू 2	क्यू 3	क्यू 4	क्यू 1	क्यू 2	क्यू 3 (पी)
सभी वस्तुएं	**100.0**	**9.5**	**9.7**	**10.4**	**8.4**	**8.1**	**7.4**	**5.0**
I. खाद्य और पेय और तम्बाकू	49.7	11.0	11.1	12.9	9.2	8.9	8.6	4.8
II. ईंधन और रोशनी	9.5	8.4	7.9	7.0	6.3	5.2	4.0	3.4
III. अन्य	40.8	7.9	8.2	8.0	7.9	7.6	6.7	5.5
खाद्य (सीएफपीआई)	42.7	11.1	11.4	13.6	9.3	9.1	8.8	4.5
मुख्य मुद्रास्फीति (गैर-खाद्य और गैर-ईंधन)	42.9	8.0	8.2	8.1	8.0	7.7	6.8	5.7

स्रोत : सीएसओ पी. : अनंतिम

बॉक्स 5.1 : सीपीआई की नई शृंखलाओं में परिवर्तन

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने पूरे भारत और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आधार वर्ष (2010 = 100) के साथ मासिक आधार पर अलग से ग्रामीण, शहरी और संयुक्त सीपीआई जनवरी, 2011 से जारी करता रहा है। इसके अतिरिक्त, अलग से पूरे भारत के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांकों (सीएफपीआई) को मई, 2014 में जारी किया था। नए सीपीआई शृंखलाओं के लिए भारित डायग्राम को राष्ट्रीय प्रतिदर्श समीक्षा (एनएसएस) के 61वीं दौर के उपभोक्ता व्यय समीक्षा आंकड़ा (2004-05) से प्राप्त शहरी/ग्रामीण के औसत मासिक उपभोक्ता व्यय के आधार पर लिया गया था। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने 2010 = 100 से 2012 = 100 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित किया था। एनएसएस ने 68वें दौर के उपभोग व्यय समीक्षा 2011-12 के संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (एमएमआरपी) आंकड़े का प्रयोग करते हुए संशोधित शृंखलाओं के लिए मदों और भारित डायग्राम के बास्केट को तैयार किया गया है।

कारण मांग दबाव, ज्यादातर प्रोटीन के मूल्यों वाली चीजों से हुआ है जैसे, दूध, अण्डे, मांस, मछली और फल व सब्ज़ियां।

5.5 2014-15 के दौरान मुख्य रूप तिमाही में आंशिक रूप से आधारभूत प्रभाव, मौसमी फलों और सब्जियों के मूल्यों में नरमी होने के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में सी पी आई खाद्य मुद्रास्फीति में विचारणीय रूप से गिरावट आई है। बाद में, मानसून के आने पर जून-अगस्त 2014 के दौरान देखा जाए तो सब्जी के मूल्य पर कुछ दबाव आया लेकिन बाद में मूल्य में गिरावट आयी जिसके कारण संपूर्ण सी पी आई मुद्रास्फीति के नवीनीकरण में महत्वपूर्ण रूप से मदद मिली है। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी से गिरावट निम्नलिखित रूप से 2014-15 के दौरान तीसरी तिमाही में 3.4 प्रतिशत के अंक को छूते हुए ईंधन एवं प्रकाश ग्रुप में सी पी आई मुद्रास्फीति में अनुकूल गिरावट अंकित की गयी। मुख्य मुद्रास्फीति (गैर-खाद्य, गैर-ईंधन मुद्रास्फीति) आर्थिक क्रियाकलाप में गिरावट मुख्यत: पिछले वर्ष में पत्राचार तिमाही में 8.1 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 की तीसरी तिमाही में 5.7 प्रतिशत तक गिरावट हुई।

आवास एवं यातायात, ने मुद्रास्फीति की गिरावट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आवास में मुद्रास्फीति, 2012 और 2013 के दौरान दोगुने अंक में रहने के बाद 2014-15 की तीसरी तिमाही में इसमें 8 प्रतिशत की गिरावट आई। विविध श्रेणी के तहत उप-ग्रुप 'यातायात एवं सम्प्रेषण' में मुद्रास्फीति, कच्चा तेल मूल्यों के अनुकूल बने रहने के साथ 2014-15 की तीसरी तिमाही के दौरान इसमें 1.8 प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट अंकित की गयी। उप-श्रेणी में ''अन्य'' जिसमें अधिकांश रूप से सेवाओं को मिलाते हुए, 2012 और 2013 के माध्यम से मुद्रास्फीति के दोगुने आंकड़े के अनुभव के बाद समान अवधि के दौरान मुद्रास्फीति 8.5 प्रतिशत तक गिर गई डब्ल्यू पी आई एवं सी पी आई मुद्रास्फीति शीर्षों में सभी प्रवृत्तियां निम्नानुसार चित्र 5.1 में दी गई है।

चित्र 5.1: थोक मूल्य सूचकांकों और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति

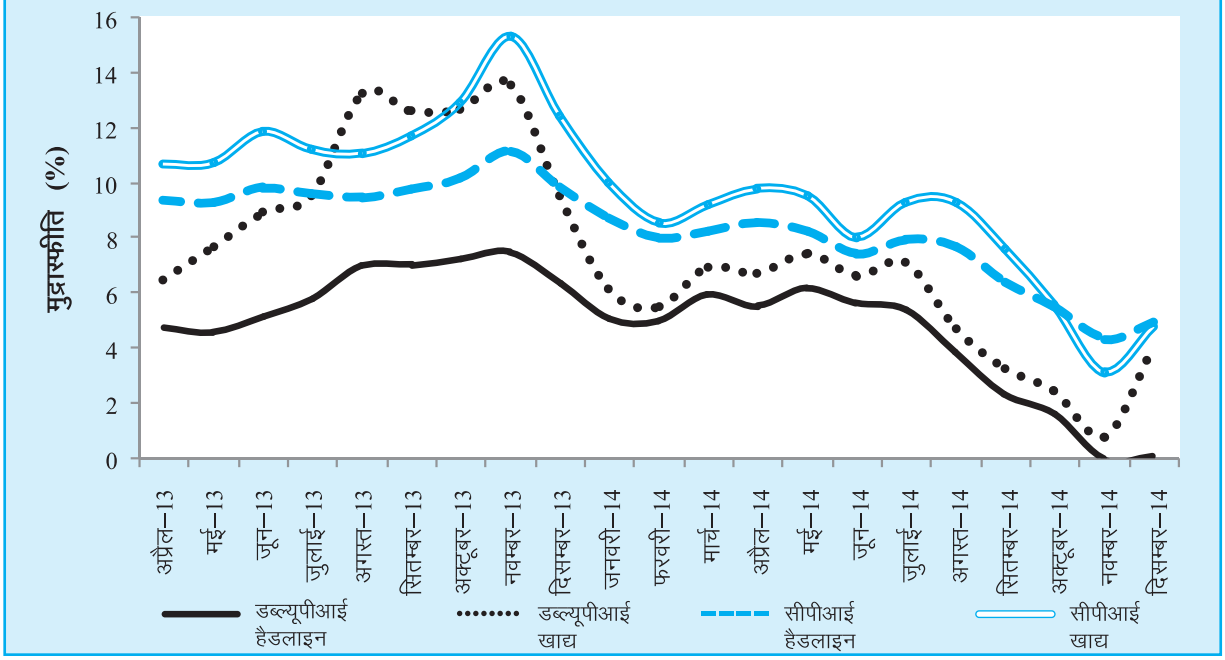

स्रोत : डीआईपीपी, सीएसओ

चित्र 5.2: एसएएआर आधारित गति

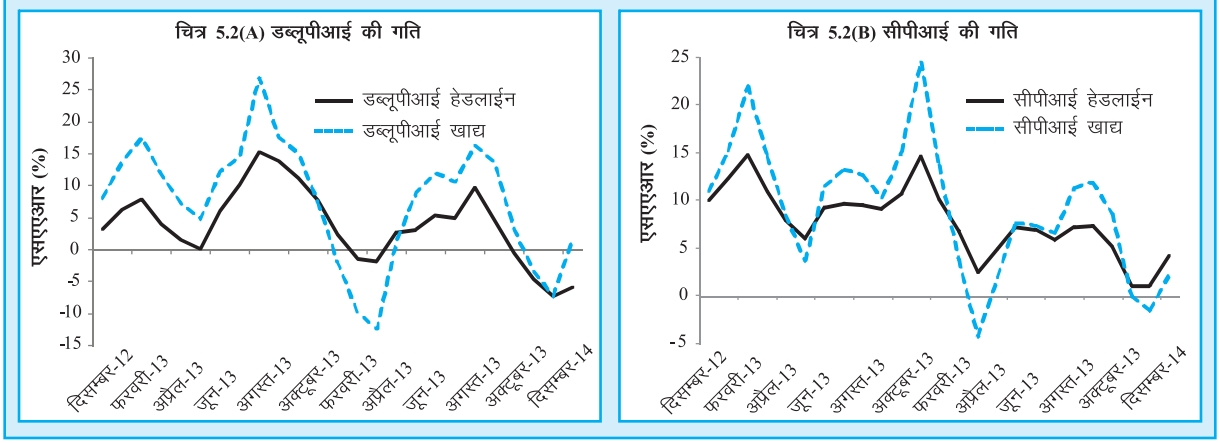

5.6 मौसम समायोजित वार्षिक दर (एसएएआर), तीन माह से तीन माह (3एम-03एम) पर आधारित मुद्रास्फीति गति में विगत कुछ माह के दौरान तीव्र गिरावट के बाद दिसंबर, 2014 में तेजी आई (चित्र 5.2)

कारक जिनसे मुद्रास्फीति में नरमी आती है

5.7 वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति में गिरावट वर्ष के प्रारंभिक महीनों में प्रत्याशित गिरावट की अपेक्षा कहीं अधिक तेजी से आई है। वैश्विक कारकों नामत: कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट, व्यापार योग्य वैश्विक कीमतों में नरमी, विशेष रूप से खाद्य तेलों और यहां तक की कोयले से, शीर्ष मुद्रास्फीति में नरमी लाने में मदद मिली है। सख्त मौद्रिक नीति के चलते मांग दबावों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जो बाहरी झटकों के लिए बफर की स्थिति सृजित करता है और रुपये के मूल्य में अस्थिरता को भी नियंत्रित करता है। पिछले एक वर्ष के दौरान, रुपए में अपेक्षाकृत स्थिरता रही और उभरते हुए सहभागी देशों में भी, जिसका मुद्रास्फीति पर बहुत ही कम प्रभाव रहा। मजदूरी विकास दर में नरमी के कारण, प्रोटीन-आधारित मदों ने मांग संबंधी दबावों को कम कर दिया। शीर्ष मुद्रास्फीति की गिरावट में मूल प्रभाव का भी योगदान है।

वैश्विक मुद्रास्फीति

5.8 वर्ल्ड बैंक पिंक शीट के आंकड़ों के अनुसार, 2014 के दौरान वैश्विक वस्तु मूल्यों में गिरावट का रूख रहा है।

चित्र 5.3: विश्व बैंक मूल्य सूचकांक में घट-बढ़

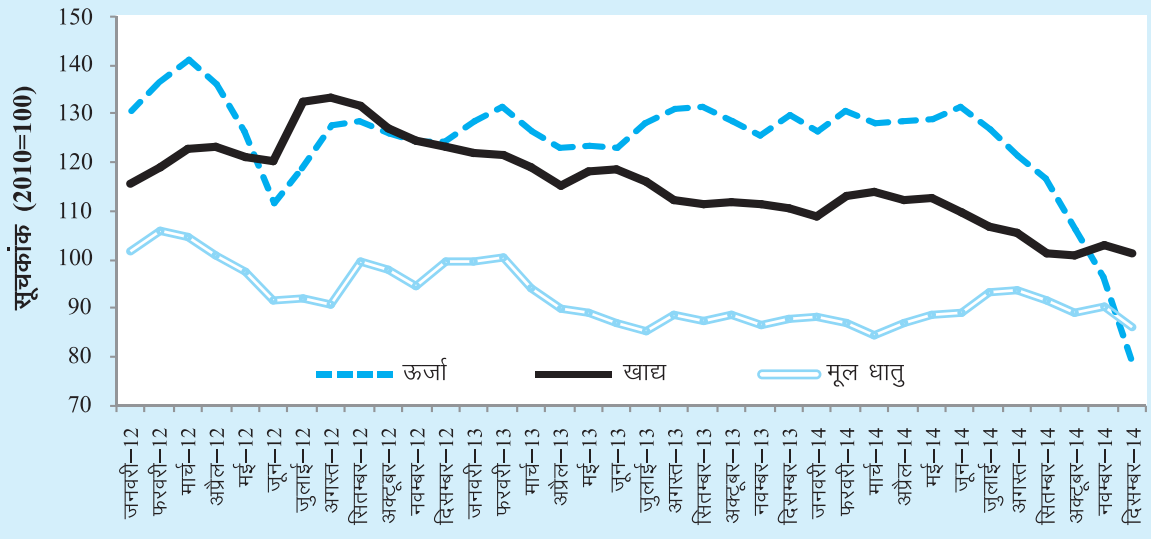

स्रोत : विश्व बैंक पिंक स्ट्रीट

चित्र 5.4: डब्ल्यूपीआई की घट-बढ़ (परिवर्तित 2010=100)

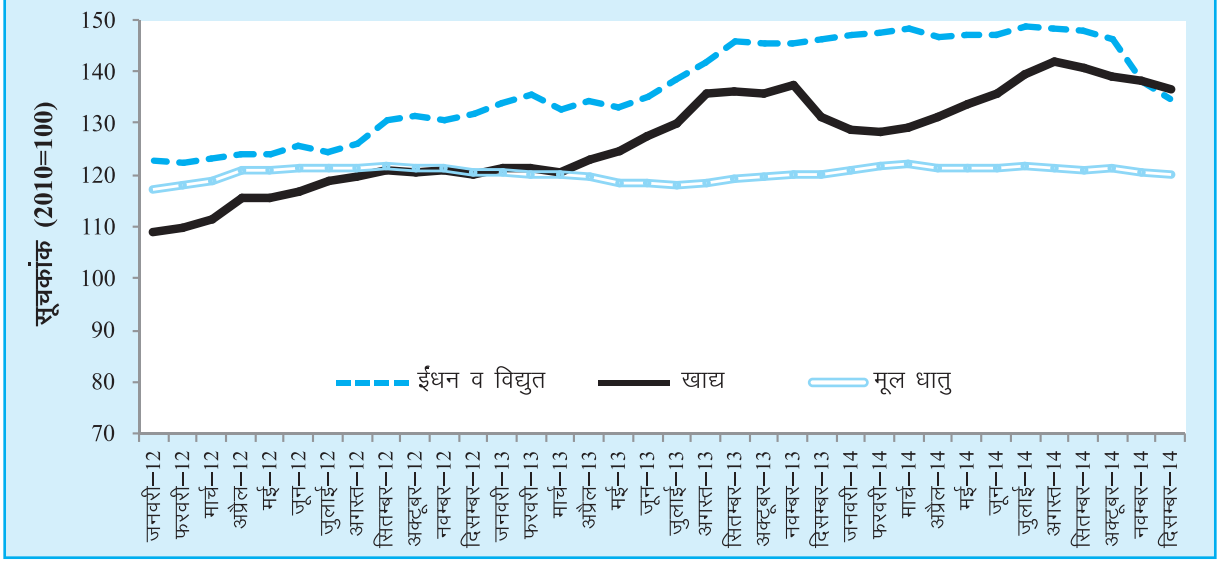

स्रोत : डीआईपीपी

ऊर्जा मूल्य सूचकांकों में जून, 2014 से दिसंबर, 2014 तक 40% की कमी आई है। इसी अवधि के दौरान, खाद्य सूचकांक और आधार धातु सूचकांक में क्रमश: 8% और 3% उत्पाद मूल्यों में रूझान निम्नलिखित चित्र 5.3 में दर्शाया गया है।

5.9 वैश्विक ऊर्जा मूल्यों में 40 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में, जून-दिसंबर 2014 के अवधि के दौरान डब्ल्यू पी आई ईंधन और ऊर्जा के संदर्भ में मापा गया भारतीय ऊर्जा मूल्य सूचकांक केवल 10 प्रतिशत गिरा। चित्र 5.4 में डब्ल्युपीआई मूल्य की घट बढ़ दर्शायी गई है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों में गिरावट जुलाई 2014 से शुरू हो गई थी, लेकिन अक्तूबर 2014 से डीजल से नियंत्रण हटाने के बाद अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कीमतों में अधिक सरेखण हुआ है।

5.10 खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), खाद्य सूचकांक यह दर्शाता है कि मार्च 2014 से खाद्य सूचकांक में लगातार गिरावट आई है जो मुख्यत: बहुत अधिक उत्पादन और कमजोर पड़ती मांग के कारण है। जबकि एफ ए ओ खाद्य सूचकांक मार्च-दिसंबर 2014 के दौरान लगभग 13 प्रतिशत तक गिर कर उसी अवधि के दौरान भारतीय खाद्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) 6 प्रतिशत के करीब बढ़ गया था। चित्र 5.5 में घरेलू और एफएओ सूचकांक की तुलना की गई है। घरेलू खाद्य और एफ ए ओ सूचकांक दोनों में

चित्र 5.5: एफएओ बनाम डब्ल्यूपीआई खाद्य (परिवर्तित 2010=100)

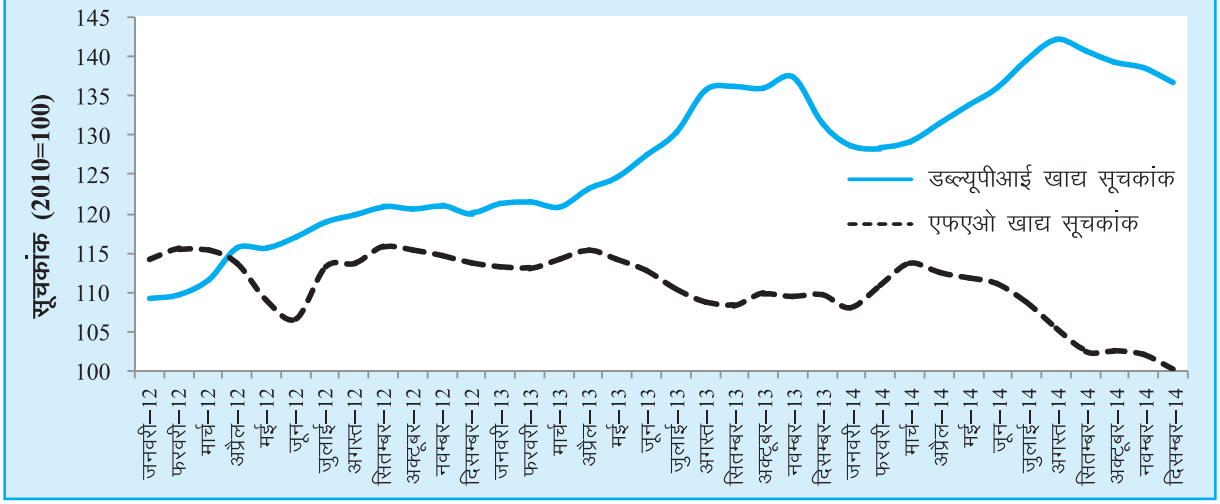

स्रोत : एफएओ और डीआईपीपी

अंतर इंगित करता है कि घरेलू खाद्य बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ एकीकृत नहीं है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खाद्य मूल्यों में विचलन, या किसानों और उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु, खाद्य और व्यापार नीति में लगी हुई विभिन्न बंदिशों के कारण है।

मज़दूरी की कम वृद्धि दर

5.11 ग्रामीण क्षेत्रों में वेतन/मज़दूरी में उच्च वृद्धि दरों में से प्रोटीन वस्तुओं और अण्डे, मांस और मछली की मांगों पर दबाव बना है। न्यूनतम सहायता मूल्यों में पर्याप्त बढ़ोत्तरी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम ने ग्रामीण वेतन/मज़दूरी में विकास दरों को बढ़ावा दिया है। कृषि वस्तुओं में बढ़ती उत्पादन लागत के जरिए उच्चतम मज़दूरी संचालित की गई है, जिससे न्यूनतम सहायता मूल्यों में वृद्धि आई है। चूंकि कृषि में फलों और सब्जियों एवं सहबद्ध क्रियाएं एक ही श्रम वर्ग द्वारा की जाती है, सभी खाद्य उत्पादों में उच्चतर मजदूरी के कारण लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति देखी गई थी। आयात किए जाने वाले लिए खाद्य तेल और दालों के मूल्य नियत्रत मुक्त बने हुए हैं।

सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय

5.12 सरकार द्वारा किए गए तीव्र निर्णयात्मक उपायों से लंबे समय से बरकरार महंगाई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है- मुख्यता: खाद्य मुद्रास्फीति को। मुद्रास्फीति में गिरावट उन वस्तुओं में काफी अधिक पाई गयी है, जिनके लिए सरकार द्वारा प्रभावी उपाय किए गए हैं। सरकार ने खाद्यान्नों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए और वितरण चैनलों में बाधा को हटाने के कई उपाय किए। इस संबंध में हाल ही में उठाए गए कुछ प्रमुख उपायों में शामिल है:

(क) राज्यों में बीपीएल और एपीएल परिवारों के लिए 5 मिलियन टन अतिरिक्त चावल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लंबित कार्यान्वयन और वर्ष 2014-15 के लिए खुले बाजार बिक्री के तहत 10 मिलियन टन गेहूं का आबंटन।

(ख) पिछले और वर्तमान दौर में न्यूनतम सहायता मूल्य में बढ़ोतरी में कमी।

(ग) सभी राज्यों को यह सलाह देना कि फलों एवं सब्जियों को एपीएमसी अधिनियम की सूची से हटाकर उनकी मुक्त आवाजाही की अनुमति देना;

(घ) प्याज़ और आलू को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की परिधि के भीतर लाना और इस तरह राज्य सरकारों को व्यवसायी समूहन और जमाखोरी से निपटने के लिए स्टाक सीमाएं लगाने तथा स्टाक सीमाओं के उल्लंघन को गैर जमानती अपराध बनाने की अनुमति देना।

(ङ) आलू के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) 26.6.2014 से 450 अमरीकी डालर प्रति मी॰ टन और प्याज़ के लिए 21.8.2014 से 300 अमरीकी डालर प्रति मी॰ टन तय किया गया।

चित्र 5.6: ग्रामीण मजदूरी वृद्धि

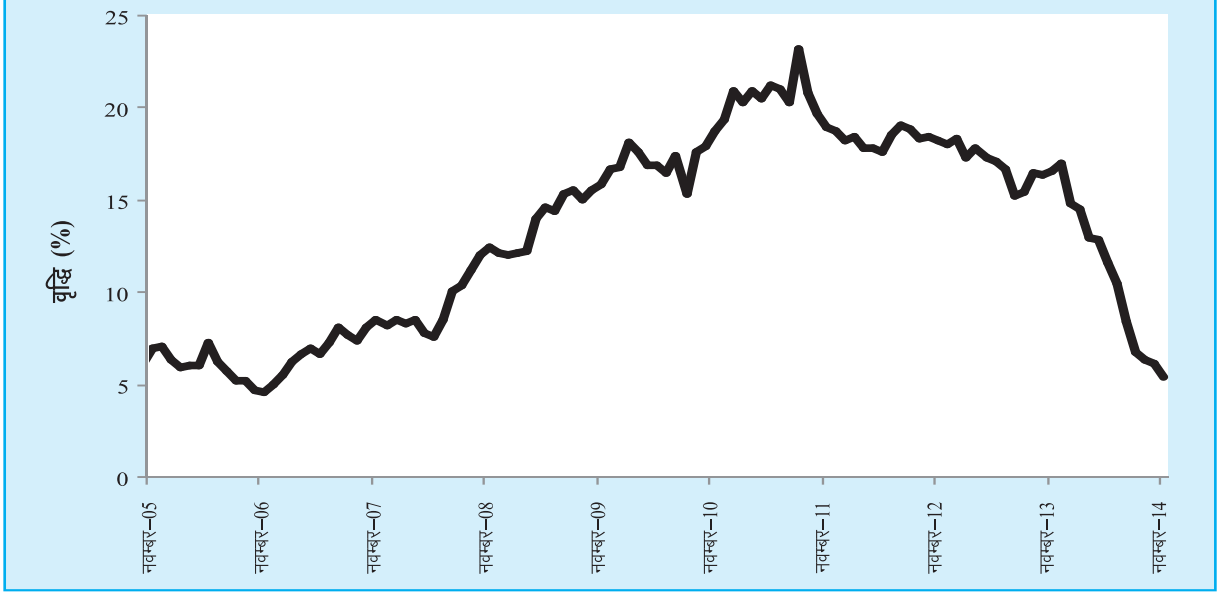

स्रोत : श्रमिक ब्यूरो

5.13 खाद्य मुद्रास्फीति को संपोषणीय तरीके से नियंत्रित रखने के लिए अधिक कठोर उपाय किए जाने होंगे ताकि कृषि और खाद्य क्षेत्र के उत्पादन, भंडारण, विपणन और वितरण जिसमें पी डी एस और एन एफ एस ए शामिल है, का पुनरुद्धार किया जा सके।

गृहस्थी सम्बन्धी मुद्रास्फीति की संभावना

5.14 भारतीय रिज़र्व बैंक सितम्बर, 2005 से त्रैमासिक आधार पर पारिवारिक इकाइयों का मुद्रास्फीति की संभावनाओं से संबंधित सर्वेक्षण कर रहा है। 16 शहरों के पारिवारिक इकाइयों का नवीनतम मुद्रास्फीति सर्वेक्षण दिसंबर 2014 में जारी किया गया जिसमें 5000 शहरी परिवार शामिल थे। इस सर्वेक्षण में अगले तीन महीने और अगले एक वर्ष की नवीनतम दौर में वर्तमान स्फीतिकारी संभावनाओं और अनुमानों को दर्शाया गया है। चालू मुद्रास्फीति अनुमानों और मुद्रास्फीति में अंतिम दौर में नरमी आई है (चित्र 5.7)।

5.15 जैसाकि उपर्युक्त चित्र 5.7 से देखा जा सकता है, नवीनतम सर्वेक्षण (दिसंबर 2014) में, अगले तीन महीनों और एक वर्ष की अवधि में माध्यिका स्फीतिकारी संभावनाएं काफी अधिक सुधरकर पूर्ववर्ती तिमाही के क्रमश: 14.6 से सुधरकर 8.3 प्रतिशत और 16 प्रतिशत से 8.9 प्रतिशत हो गई। 38वें दौर में इन संभावनाओं में तीव्र सुधार और मुद्रास्फीति संबंधी वास्तविक आंकड़ों से सामान्य विचलन अत्यधिक निराशाजनक है जैसाकि मुद्रास्फीति संबंधी पारिवारिक संभावनाओं के सर्वेक्षण में दिखाई दे रहा है।

5.16 इस संभावना के प्रति बढ़ता जोखिम इस तथ्य से उद्भूत होता है कि कच्चे तेल की कीमतों को इन स्तरों से नीचे लाना होगा, हालाकि यह संभावना नहीं है कि ये बहुत कम समय में बढ़ जायेगी। इसके अलावा चालू रबी फसल के मौसम में तिलहनों और दालों में का क्षेत्र कम होने से आपूर्ति पर दबाव पैदा हो सकता है। भाण्डागारण और शीत भण्डारण की क्षमता संबंधी अड़चनों के चलते मौसमी वस्तुएं में भी मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ सकता है।

कृषि और खाद्य प्रबंधन

5.17 कृषि क्षेत्र में वास्तविक मूल्यों (2004-05 से 2011-12 के दौरान 31%) में वृद्धि की पृष्ठभूमि में 2004-05 के दशक में मूल्य वृद्धि में 3.8% वार्षिक वृद्धि हुई है। कृषि मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर एस. महेन्द्र देव की अध्यक्षता में कृषि और कृषि इतर के बीच व्यापार की स्थितियों का हिसाब करने के लिए अद्यतन प्रविधि तैयार करने के लिए स्थापित समिति ने पाया है कि 2004-05 और 2013-14 के दौरान व्यापार की स्थिति कृषि के पक्ष में थीं। थोक मूल्य सूचकांक कृषि और डब्ल्यूपीआई (कृषि-भिन्न) के अनुपात में 2005-06 के बाद तीव्र बढ़ोत्तरी हुई है। (चित्र 5.8)।

चित्र 5.7 पारिवारिक मुद्रास्फीति अनुमान

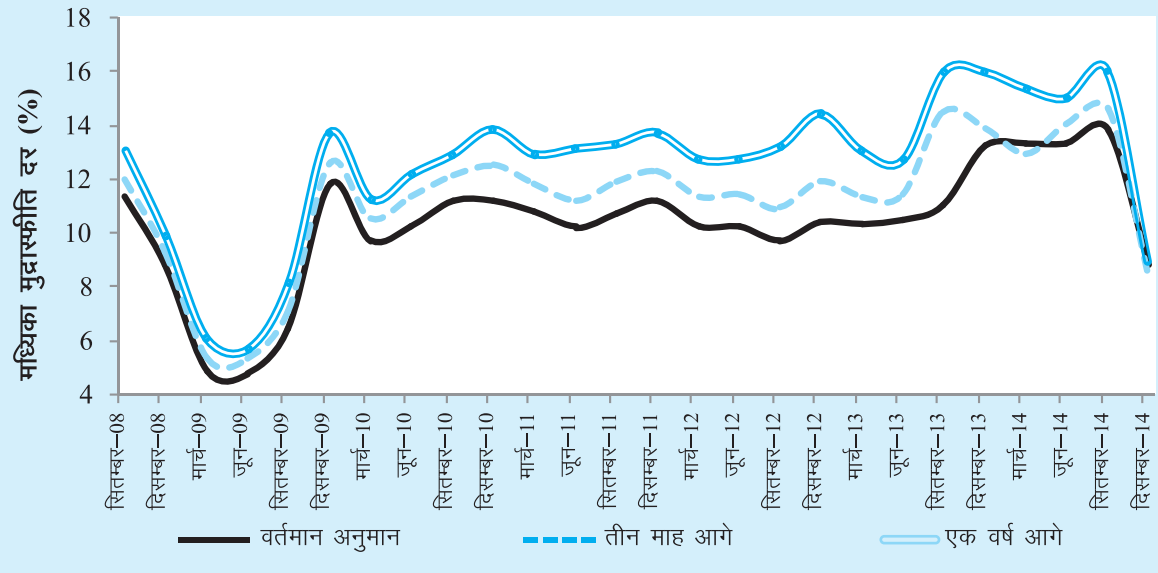

स्रोत : आरबीआई

चित्र 5.8: डब्ल्यूपीआई कृषि, कृषि-भिन्न और कृषि सघउ डिफ्लेटर की घट-बढ़

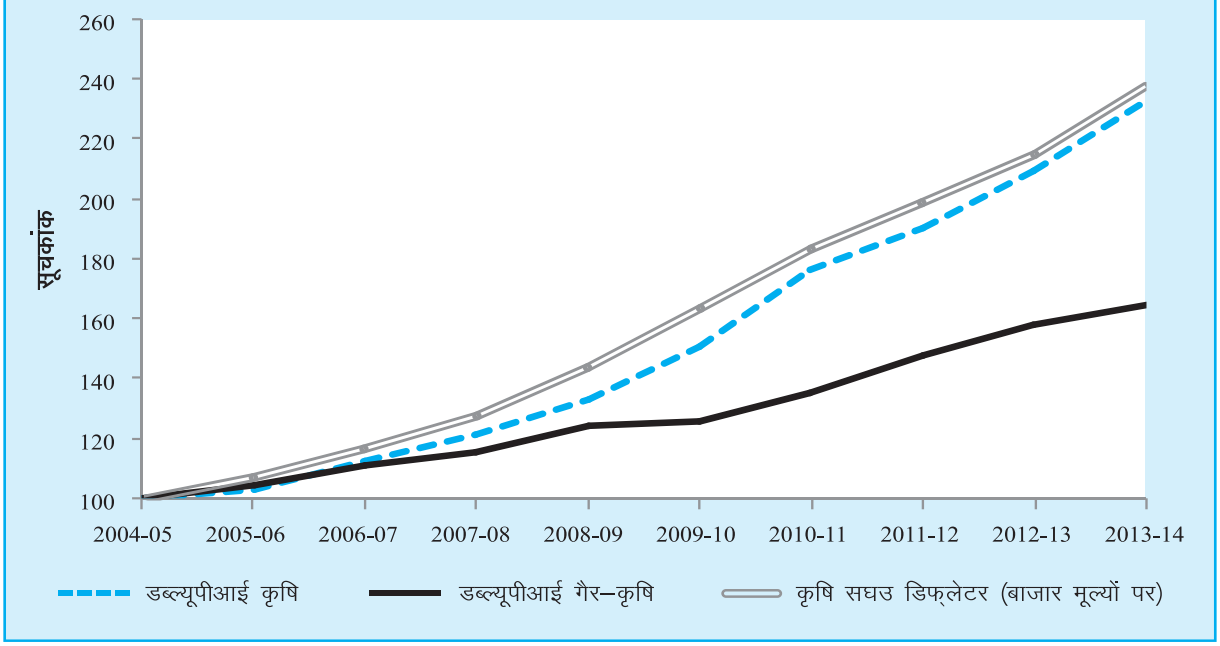

स्रोत : डीआईपीपी, सीएसओ

5.18 हॉल ही में प्याज, टमाटर और आलू जैसे कुछ खाद्य उत्पादों की मुद्रास्फीति, मौसमी और अल्पकालिक मूल्य बढ़ोत्तरी अत्यधिक चिंता का कारण बन गई है जो अब अक्सर, अधिक अवधि तक उपभोक्ता के लिए कष्टकारी बन गया है व इससे आर्थिक अस्थिरता होती है। अत:, मूल्य-प्रेरित विकास स्थिर वहीं है और साथ ही वधि ंत बुआई क्षेत्र के जरिए उत्पादन बढ़ाने की गुंजाईश आभासी तौर पर मौजूद नहीं है। अत:, कृषि विकास की कार्यनीति मूल्य-भिन्न कारकों अर्थात् पैदावार और उत्पादकता पर अधिक निर्भर है।

कृषि क्षेत्र का सिंहावलोकन

5.19 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी राष्ट्रीय आय की नईश्रृंखला के अनुसार, 2011-12 के मूल्यों

सारणी 5.3 : कृषि क्षेत्र–मुख्य संकेतक (2011-12 की कीमत पर प्रतिशत)

क्र.सं.	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रोंमें सघउ वृद्धि कुल सघउ में कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्र का हिस्सा	-	1.2	3.7	1.1
	फसल	18.4	18.0	18.0	
	पशुधन	12.0	11.7	11.8	
	वानिकी तथा लागिंग	4.0	4.0	3.9	
	फिशिंग	1.6	1.5	1.4	
2	कुल सघउ में कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्र का हिस्सा	0.8	0.8	0.9	
	फसल	8.6	7.7	7.9	उ.न.
	पशुधन	7.4	6.5	6.6	
	वानिकी तथा लागिंग	0.8	0.7	0.7	
	फिशिंग	0.1	0.1	0.1	
3	सेक्टर के सघउ के प्रतिशत के अनुसार कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों में जीसीएफ	0.4	0.4	0.5	
		18.3	15.5	14.8	

स्रोत : सीएसओ

टिप्पणी: जीसीएफ सकल पूंजी निर्माण

पर कुल स.घ.उ. में कृषि की हिस्सेदारी 2013-14 में 18% है 12वीं योजना में कृषि और सहबद्ध क्षेत्र हेतु 4 प्रतिशत के वृद्धि लक्ष्य के मुकाबले निर्धारित वृद्धि प्रथम वर्ष में 1.2% और दूसरे वर्ष में 3.7% रही है और 2014-15 में 1.1 प्रतिशत (सारणी 5.3)।

क्षेत्र, उत्पादन और उपज

5.20 सारणी 5.4 में, 2013-14 में विभिन्न फसलों संबंधी क्षेत्र, उत्पादन और उपज के आंकड़े दिए गए हैं। द्वितीय अग्रिम अनुमानों (एई) के अनुसार, 2013-14 में कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में 265.6 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2012-13 के उत्पादन की अपेक्षा 8.5 मिलियन टन अधिक और विगत 5 वर्षों के दौरान औसत खाद्य उत्पादन से 22.1 मिलियन टन अधिक है।

5.21 विगत वर्ष 2014-15 में दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, कुल खाद्यान्न उत्पादन 257.07 मिलियन टन होने का अनुमान है जो देश में चौथी सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन मात्रा है। उल्लेख किया जाए कि वर्ष के दौरान मानसून वर्षापात में 12 प्रतिशत की कमी के बावजूद हानि विगत वर्ष की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत तक सीमित रही है और विगत 5 वर्षों के दौरान औसत खाद्यान्न उत्पादन से 8.15 मिलियन टन अधिक है।

5.22 पिछले वर्ष के 265.57 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में वर्तमान वर्ष में खाद्यान्न का उत्पादन 8.5 मिलियन टन कम है। चावल, मोटे अनाज, अनाज और दालों में कम उत्पादन के कारण उत्पादन में गिरावट आई है। 2014 के दौरान मानसून की विपरीत स्थितियों के कारण हुआ है।

5.23 उपलब्धता और आसान पहुंच सहित- कृषि क्षेत्र के लचीलेपन में सुधार लाने और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए, हमारी रणनीति उपज और उत्पादकता पर अपना ध्यान केन्द्रित करने की है। यद्यपि, 2000 के बाद खाद्यान्नों व दालों की उपज/उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हुई है, फिर भी उपज अंतराल अन्य देशों की अपेक्षा अधिक थे और विभिन्न राज्यों तक में उपज में काफी भिन्नताएं थी जो संकेत करती हैं कि अधिकांश फसलों में बढ़ोतरी करके उत्पादन में वृद्धि करने के अवसर मौजूद है जिसके लिए आवश्यक नहीं, कि मूल्यों में ही वृद्धि की जाए (सारणी 5.5)

सारणी 5.4 : क्षेत्र, उत्पादन और उपज (2013-14)

(क्षेत्र: मिलियन हे०; उत्पादन; मिलियन टन; उपज: किलो हे०)

समूह/उत्पादन वस्तु	क्षेत्र	क्षेत्र में प्रतिशत बदलाव	उत्पादन	क्षेत्र में प्रतिशत बदलाव	उपज	उपज में प्रतिशत बदलाव
कृषि[क]	126.0	4.3	264.8	3.0	2101	-1.3
चावल	43.9	2.7	106.5	1.3	2424	-1.5
गेहूं	31.2	4.0	95.9	2.6	3075	-1.3
जवार	5.8	-6.1	5.4	1.7	850	-8.2
मक्का	9.4	8.3	24.4	9.2	2566	-0.7
बाजरा	7.9	8.0	9.2	5.5	1198	2.9
दाले	25.2	8.3	19.3	5.3	764	-3.2
चना	10.2	20.3	9.9	12.3	967	-6.7
तूर	3.9	0.0	3.3	9.7	848	9.2
तिलहन	28.5	7.6	32.9	6.4	1153	-1.3
मूंगफली	5.5	17.6	9.7	105.8	1750	75.9
रैपसीड और सरसों	6.7	4.7	8.0	-0.5	1188	-5.9
कपास	11.7	-2.3	36.7	7.2	532	9.4
गन्ना[ख]	5.0	0.0	350.0	2.6	70	0.0

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग

टिप्पणी: *चौथा एई

क अनाज, मोटे अनाज और दाले

ख 170 किलों की गांठे

सारणी 5.5 : 2013-14 की मुख्य फसले, औसत, अधिकतम, और न्यूनतमक उपज

उपज (किलो/हे॰)

फसले	अखिल-भारतीय औसत	अधिकतम	न्यूनतम
चावल	2416	पंजाब (3952)	मध्य प्रदेश (1474)
गेहूं	3145	पंजाब (5017)	आंध्र प्रदेश (500)
मक्का	2676	तमिलनाडु (5372)	असम (898)
जवार	957	आंध्र प्रदेश (1661)	पश्चिम बंगाल (280)
चना	960	आंध्र प्रदेश (1439)	तमिलनाडु (653)
तूर	813	बिहार (1667)	आंध्र प्रदेश (542)
मूंगफली	1764	गुजरात (2668)	हिमाचल प्रदेश (600)
रैपसीड और सरसों	1185	गुजरात (1723)	तमिलनाडु (241)
सोयाबीन	1012	आंध्र प्रदेश (1612)	उत्तर प्रदेश (577)
गन्ना	70522	पश्चिम बंगाल (114273)	जम्मू और कश्मीर (1000)
कपास#	510	पंजाब (750)	महाराष्ट्र (358)

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग

टिप्पणी: # 170 किलोग्राम प्रत्येक की 1000 गांठे

5.24 समय के साथ-साथ उपज में बढ़ोतरी और वास्तविक दशाओं में विभिन्न फसलों के उत्पादन की औसत लागत के बीच विलोम संबंध होता है। उदाहरणार्थ, रबी फसलों के मामले में, उपज में 10% की वृद्धि के परिणामत: वास्तविक दशाओं में विभिन्न फसलों के उत्पादन की औसत लागत में 2.1% से 8.1% की की कमी हुई है। खरीफ फसलों की मूल्य नीति, फरवरी, 2014 से पृष्ठ 67 से 69)। इससे इस तथ्य का स्पष्ट संकेत मिलता है कि उत्पादकता में वृद्धि, विशेषकर कम उत्पादकता वाले राज्यों/क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि से लागत प्रेरित खाद्य मुद्रास्फीति कम करने में काफी मदद मिल सकती है।

5.25 पैदावार, विभिन्न कारकों जैसे बीजों की किस्म और गुणवत्ता, मुद्रा की गुणवत्ता, सिंचाई-जल, उर्वरकों की गुणवत्ता, सहित- उनके अनुपात, कीटनाशकों, श्रम, विस्तार सेवाओं आदि पर निर्भर करती है। किसानों को प्राप्त मूल्य और कोई खास मूल्य पाने के निश्चितता या आश्वासन से भी किसानों को विशेष फसल उगाने और खेती में गुणवत्तापूर्ण आगतों के उपयोग की प्रेरणा मिलती है। भारत में ऐसे कुछ किसानों की स्थिति निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित है।

वृद्धि के प्रेरक

कृषि अनुसंधान और शिक्षा

5.26 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) लक्ष्य कृषि परिस्थितियों के लिए समान फसल उत्पादन और उत्पादन तकनीकों के अलावा विभिन्न जैविक एवं अजैविक दबावों के प्रति सहनशीलता/प्रतिरोधकता के साथ-साथ पैदावार एवं पोषक गुणवत्ता में इजाफा करने वाली विशिष्ट विशेषताओं वाली नई फसलें विकसित करने के कार्य में लगा हुआ है। विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों के लिए कुल 104 विभिन्न किस्में जारी की गई थीं। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज मुहैया कराने के लिए प्रभावी बीज शृंखला सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न फील्ड फसलों की संस्तुत किस्मों को 11835 टन तक प्रजनन बीज विकसित किए गए थे। उन्नत किस्मों और फसलों प्रबंधन तकनीकों को अपनाने से अनाजों, दालों और अन्य फील्ड फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में इजाफा हुआ है।

5.27 जबकि प्रायोगिक अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार पर अधिक परिव्यय से औसत लागत में कमी एवं औसत पैदावार/उत्पादकता में बढ़ोत्तरी व वृद्धि के मामले में अधिक भरोसेमंद परिणाम मिलेंगे, द्वितीय हरित क्रांति के लिए पैदावार/उत्पादकता में प्रतिमान बदलाव के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और भारतीय विज्ञान संस्थानों (आईआईएस) की तर्ज पर अनुसंधान संस्थानों का सृजन कर आधारभूत शोध पर अधिक परिव्यय करके हासिल किया जा सकता है ''तकनीकी सुस्ती'' को दूर कर विभान-प्रेरित भारतीय कृषि विकास करने की अत्यावश्यकता है। बजट 2014-15 में असम और झारखण्ड में रु॰ 100 करोड़ की आरंभिक राशि से

दो उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

कृषि विस्तार

5.28 एनएसएसओं के 70वें दौर के सर्वेक्षण पता चलता है कि लगभग 59% किसानों को सरकार द्वारा वित्तपोषित फार्म अनुसंधान संस्थानों और विस्तार सेवाओं से बहुत तकनीकी सहायता एवं जानकारी नहीं मिलती। अत: उन्हें तकनीकी मदद के लिए प्रगतिशील किसानों, मीडिया और निजी व्यावसायिक एजेंटों जैसे बीजों उर्वरकों एवं कीटनाशकों जैसी फार्म आगतों के डीलरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अंतिम छोर तक संपर्क सुनिश्चित करने के लिए उभरती तकनीकी एवं सूचना जरूरतें पूरी करने हेतु विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करना होगा। सूचना तकनीक और ई-एवं मोबाइल (एम) अनुप्रयोगों से लाभ उठाकर, व्यावसायिक गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी आदि से 'प्रयोगशाला से खेत तक' कार्यक्रम के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। बजट 2014-15 में किसानों को नई खेती तकनीकों, जल संरक्षण, जैविक खेती आदि संबंधी वास्तविक समय की सूचना का प्रचार-प्रसार करने के लिए किसान टीवी को 100 करोड़ रु॰ आबंटित कर की गई पहल से प्रत्येक से लगभग 800 से 1000 किसानों के लिए एक विस्तार श्रमिक का मौजूदा प्रतिकूल अनुपात आंशिक रूप से दूर होगा और कृषि विशेषज्ञों से सीधी बातचीत हो सकेगी।

सिंचाई

5.29 केन्द्रीय सरकार ने अपूर्ण सिंचाई स्कीमों को पूरा करने के लिए सहायता देने के लिए 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईवीपी) शुरू की है। एआईबीपी के अंतर्गत, 31 दिसंबर, 2014 तक 67195.47 करोड़ रु॰ की केंद्रीय ऋण सहायता (सीएलए)/अनुदान जारी किया जा चुका है। राज्यों द्वारा 31 मार्च, 2013 तक एआईबीपी के तहत बड़ी/मध्यम/लघु सिंचाई परियोचजनाओं से 85.03 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के बीच अंतराल को कम करने के लिए एआईबीपी के साथ कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को मिला लिया गया है। समय-समय पर जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल-अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में पानी के स्थनांतरण के लिए राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाने जाने के सुझाव दिए जाते रहे हैं। इन स्कीमों के बावजूद भारतीय कृषि काफी हद तक वर्षा पर निर्भर है, लगभग 35% कृषक क्षेत्र सिंचित है और राज्यों में सिंचाई के साधनों का वितरण भी काफी असमान है। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणलियों पर ध्यान केंद्रित करने से जलोपयोग कुशलता और उत्पादकता में काफी वृद्धि होगी। उत्पादकता, उत्पादन और लचीलेपन में बढ़ोतरी के लिए सकल खेती क्षेत्र और सकल सिंचित क्षेत्र के अंतर को पाटना होगा जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना

चित्र 5.9: सकल सिंचित क्षेत्र बनाम सकल बुआई क्षेत्र

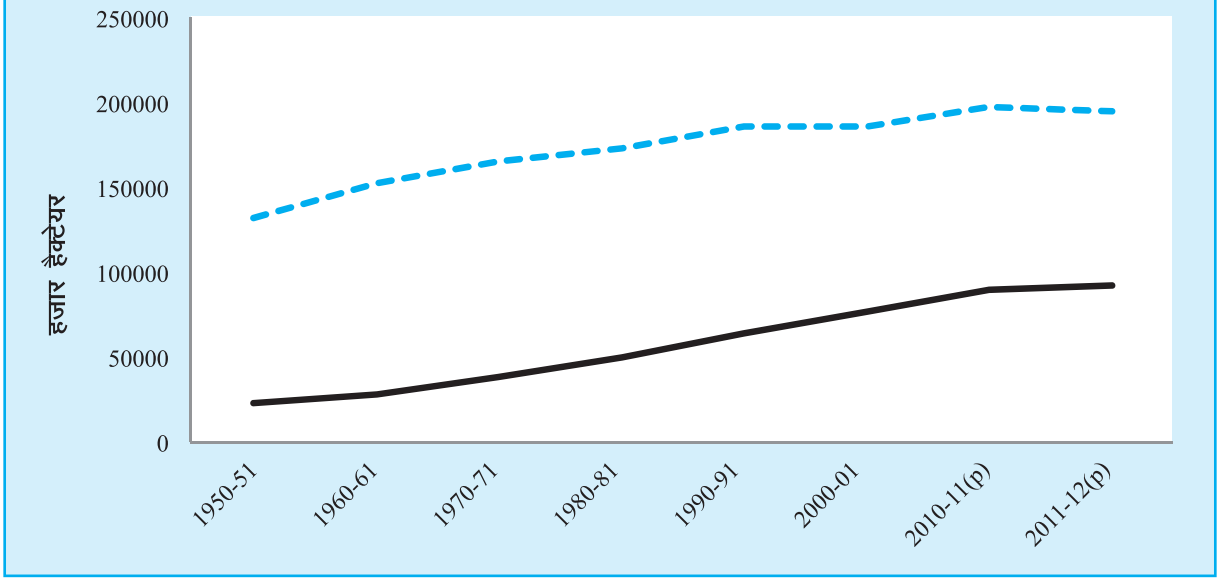

स्रोत : कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी)।

अवधि से लेकर अभी तक बहुत कम सुधार हुआ है।

बीज

5.30 बीज कृषि उत्पादन और उत्पादन बढाने का आधारभूत आगत है। अन्य सभी कृषि आगतों जैसे उर्वरकों, कीटनाशकों, और सिंचाई आदि की प्रभाव कारिता के साथ ही कृषि पर जलवायु स्थितियों का प्रभाव काफी हद तक प्रयुक्त बीजों द्वारा निर्धारित होता है। अनुमान है कि गुणवत्तापूर्व बीजों से उत्पादकता 20-25% तक बढ जाती है। 2014-15 में प्रभावित/गुणवत्तापूर्ण बीजों (खरीफ व रबी) की राज्यों द्वारा कुल जरूरत 343.55 लाख क्विंटल अनुमानित है। इस प्रकार 2014-15 में कुल 8.21 लाख क्विंटल अतिरिक्त बीज उपलब्ध है। 2014-15 के दौरान, चने, दाल, मटर, सोयाबीन और आलू के प्रभावित/गुणवतापूर्ण बीजों की उपलब्धता में कमी है। तेलों और दालों पर हमारी आयात निर्भरता और आलू की मुद्रास्फीति की संवेदनशीलता को देखते हुए, इन उत्पादों के प्रभावित बीजों की कमी दूर करने के उपाय करने जरूरी हैं। बी1 और अन्य जीएम फसलों से नकारात्मक परिणामों संबंधी प्रभाव के अभाव, पर्याप्त संभाग्य उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा एवं स्थिरता लाभ को देखते हुए, सदृश नियामक रूपरेखा और उनके कार्यान्वयन पर पुन: विचार करना लाजमी है।

उर्वरक

5.31 2014-15 में सरकार की उर्वरक नीति में की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:- (i) वर्ष 2002-03 के स्तर पर फ्रीजिंग फिक्स्ड कॉस्ट के कारण मौजूदा यूरिया इकाइयों की कम वसूली के मुद्दे का समाधान करने के लिए 2 अप्रैल, 2014 को मौजूदा यूरिया इकाइयों के लिए संशोधित एनपीएस-iii की अधिसूचना। संशोधित नीति, अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित की गई है। (ii) इसके अलावा, सरकार ने भारत को यूरिया क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने के लिए नए निवेश को आसान, बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति, 2012 अधिसूचित की थी। इसके अलावा, इस विभाग द्वारा 7 अक्तूबर, 2014 को नई निवेश नीति 2012 में संशोधन को अधिसूचित किया गया है। अप्रैल-नवम्बर 2014, के लिए नाइट्रोजन और फास्फेट के 89.68 लाख टन तथा 33.51 लाख टन घरेलू उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन क्रमश: 82.86 लाख टन तथा 25.05 लाख टन था।

ऋण

5.32 कृषि ऋण प्रवाह में सुधार करने और खेती संबंधी ऋणों पर ब्याज दर में कमी लाने के लिए निम्नांकित उपाय किए गए हैं: (i) 2013-14 का कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्य 7,00,000 करोड रु निर्धारित किया गया था और 2012-13 में 6,07,375 करोड़ रु॰ के मुकाबले 7,30,765 करोड़ रु॰ (अंनतिम) का हासिल किया गया है। 2014-15 के लिए कृषि ऋण प्रवाह 8,00,000 करोड़ रु॰ निर्धारित किया गया है जिसमें से 30 सितंबर 2014 तक 3,70,82860 करोड़ रु॰ (अनंतिम) हासिल कर लिया गया है। (ii) किसानों को फसल ऋण पर 3,00,000 रु॰ तक की मूलधन राशि 7% ब्याज दर पर प्रदान की जा रही है। 2014-15 के दौरान उन किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4% प्रतिवर्ष है जो अपने ऋण की तत्परता चुकौती कर रहे हो। (iii) किसानों को हताशा में अपनी फसलों को बेचने से बचाने फसलोंपरांत के लिये उन छोटे और सीमांत किसानों अगले छ: महीने के लिए ब्याज सहायता दी जाती है जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड होता है यह सहायता एन डब्ल्यू आर पर तथा उस दर से दी जाती है जो फसल ऋण पर लागू होता है। सहायता एवज में फसलोंपरांत ऋण वाणिज्यिक अन्य किसानों को एनडब्ल्यूआर के दर पर दिया जाता है। (iv) 2014-15 से, प्राकृतिक आपदाएं आने पर किसानों को राहत देने के लिए प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुन:रचित ऋण राशि पर पहले वर्ष के लिए बैंकों को 2% ब्याज सहायता जारी रहेगा और ऐसे पुन: रचित ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार, दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू की जाएगी।

5.33 भारत सरकार द्वारा 2006-07 से शुरू की गई अल्पावधि उत्पादन ऋण (फसल ऋण) के लिए ब्याज सहायता स्कीम का 2013-14 से निजी बैंकों में भी विस्तार किया गया है। वर्तमान में कुल ऋण 5.72 करोड़ रु॰ है। भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि फसल ऋण वांछित लाभार्थियों को वहीं मिल रहे हैं और बैंकों की कुछ शाखाओं में धन के

अंतिम उपभोग की निगरानी की कोई व्यवस्था या प्रक्रिया नहीं है। इसके अलावा, हालांकि समय के साथ-साथ कृषि को कुल ऋण प्रवाह बढ़ा है। कृषि में दीर्घावधिक ऋण हिस्सेदारी अथवा निवेश क्रेडिट 2006-07 में 55% से घटकर 2011-12 में 39% रह गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 70वें दौर के आंकड़ों के अनुसार हॉल के वर्षों में कृषि को संस्थागत क्रेडिट के प्रवाह में बढ़ोत्तरी के बावजूद किसानों के 40% तक अनौपचारिक स्रोतों से है। सूदखोर ऋण दाताओं से भी कुल कृषि क्रेडिट का 26% है।

5.34 लाभार्थियों के अपर्याप्त लक्ष्य और दीर्घावधिक उपज ऋणों के अंतिम उपयोग की निगरानी/पर्यवेक्षण के मुद्दों का प्राथमिक आधार पर समाधान करने की जरूरत है जिसके लिए ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम प्रयोजनीय है और कृषि में दीर्घावधिक निवेश में कमी को दूर करना जरूरी है।

मशीनीकरण

5.35 कृषि मशीनीकरण से खेती के कर्याकलाप समय पर पूरे होने से और प्रति इकाई समय में कार्य के परिव्यय में वृद्धि से भूमि और श्रम की उत्पादकता बढ़ जाती है। विविध फसलें उगाने और कृषि के विविधीकरण इसके अत्यधिक योगदान के अलावा मशीनीकरण से बीज, उर्वरक और सिंचाई जल जैसी कृषि आगातों का कुशल उपयोग हो पाता है। हालांकि भारत कृषि उत्पादन करने वाली शीर्ष देशों में है खेती मशीनीकरण का मौजूदा स्तर की औसत विकसित देशों में 90% की अपेक्षा 40% है जो राज्य-दर-राज्य भिन्न-भिन्न है। भारत में मशीनीकरण पिछले दो दशकों से 5% से कम दर से बढ़ रहा है। खेती मशीनीकरण की मुख्य चुनौतियां, प्रथम विभिन्न प्रकार की मुद्रा और जलवायु जोन वाली अत्यधिक वैविध्यपूर्ण कृषि जिसके लिए अनुकूल खेती मशीनरी और उपकरण आवश्यक होते हैं और दूसरे सीमित संसाधन युक्त बड़ी एवं छोटी जोते। खेती मशीनीकरण का ऋण प्रवाह कृषि क्षेत्र के कुल ऋण प्रवाह के 3% से कम है बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि मशीनीकरण पर समर्पित उप-मिशन शुरू किया गया है जिसे छोटे और उपेक्षित किसानों एवं विद्युत की कम आपूर्ति वाले क्षेत्रों तक खेती मशीनीकरण का विस्तार करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण

5.36 इस क्षेत्र में कृषि सघउ के सापेक्ष कृषि और सबद्ध क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण में 2004-05 में 13.5% से 2004-05 के मूल्यों पर 2012-13 में 21.2% का सुधार आया है (चित्र 5.10) इस क्षेत्र की व्यापक निवेश जरूरतों को देखते हुए अधिक सरकारी निवेश पे केवल निजी निवेश को बढाने में मदद मिलेगी।

चित्र 5.10: कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण (2004-05 की कीमतें)

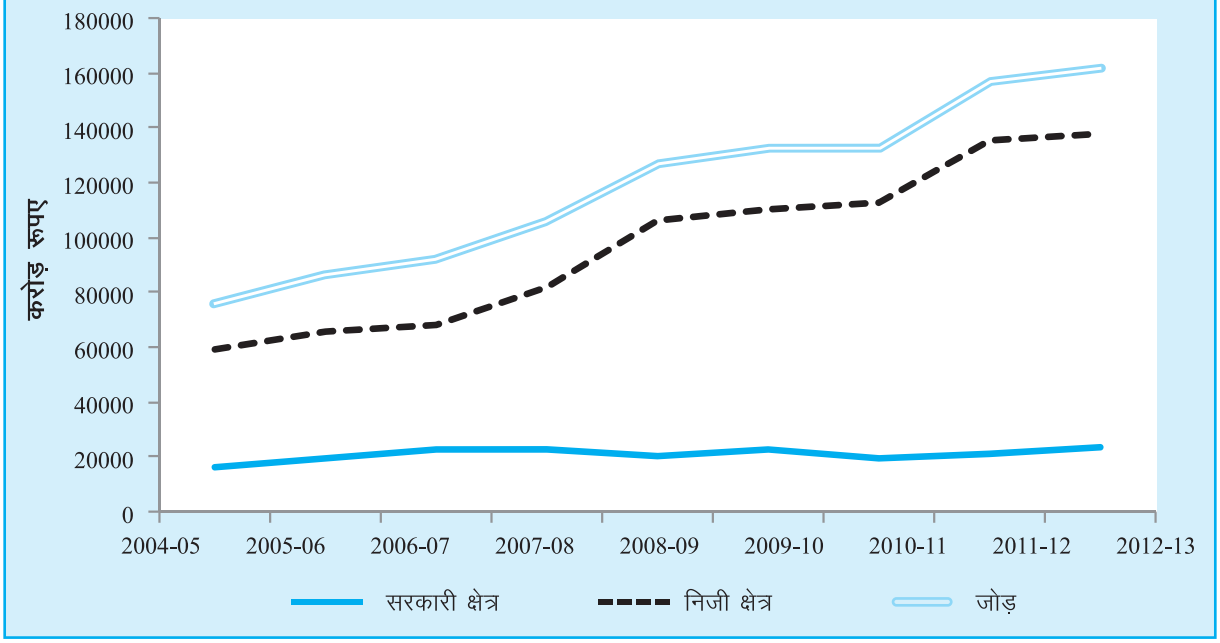

स्रोत : डीएसी

सरकार की प्रमुख योजनाएं

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

5.37 सरकार ने XIIवीं योजना के दौरान आरकेवीवाई को जो जारी रखने का अनुमोदन किया है जिसके अनुसार, आरकेवीवाई का वित्तपोषक तीन धाराओं अर्थात् उत्पादन वृद्धि, अवसंरचना व आस्तियों और उप-स्कीमों एवं फ्लैक्सी निधि द्वारा होगा। 2015-16 के दौरान इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतू आवंटन प्रस्ताव 18,000 करोड़ रु. है। अधिक पूंजी निर्माण और निवेश के उच्चतर रिटर्न के मद्देनजर, राज्यों का अवसंरचना और आस्ति सृजन धारा में कुल परिव्यय के 100% तक खर्च करने की छूट दी गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

5.38 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एमएफएसएम) का कार्यान्वयन, XIIवीं पंचवर्षीय योजना (2016-17) के अंत तक 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्य उत्पादन के नए लक्ष्य से किया जा रहा है जिसमें 10 मिलियन टन चावल, 8 मि॰ टन गेहूं, 4 मि॰ टन दालें, 3 मि॰ टन मोटा आनाज है। 2014-15 से 28 राज्यों के 619 जिलों में नवीकृत एनएफएसएम कार्यान्वित की जा रही है। 2014-15 से चावल के अलावा गेहूं, दालों और मोटे अनाज जैसी फसलों एवं व्यावसायिक फसलों (गन्ना, कपास व जूट) को शामिल किया गया है। इस मिशन के तहत किसान उत्पादक प्रोन्नति संगठन (एफपीओ), मल्य वृद्धि, दाल मिल और परंपरागत हॉयरिंग प्रभारों के लिए सहायता भी की गई है। दालों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। एनएफएमएस के तहत, दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दाल घटक के लिए कुल निधियों का पच्चास प्रतिशत आबंटित किया गया है। जैव-उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु जैव-उर्वरकों पर सब्सिडी रु॰ 100/है से रु॰ 300/है॰ कर दी गई है।

एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम (एनआईडीएच)

5.39 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम (एमआईडीएच) शुरू किया गया है जिसमें बागवानी की सभी वर्तमान स्कीमों को एक ही मिशन के तहत लाया गया है गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण, संरक्षित कृषि के जरिये उत्पादकता सुधार के उपाय, सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग, एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधक और विपणन हेतु अवसंरचना सृजन के साथ-साथ एकीकृत कीट रोग प्रबंधन और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाने पर एमआईडीएच में ध्यान केन्द्रित किया गया है।

प्रगतिशीलता और अनुकूलता

5.40 वर्तमान फसल पैटर्न के बरकरार न रहने और जल संसाधनों के उपयोग संबंधी चिंताओं को कुछ समय तक उठाया गया। पिछले बजट में की गई निम्नलिखित घोषणाओं से टिकाऊपन और जलवायु अनुकूलन का मुद्दा आगे आया है:-

- 1,000 करोड़ रु. के आबंटन से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
- **नीरीचल,** जो कि देश में पनधारा विकास को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए 2014 में 2142 रुपये के प्रारम्भिक व्यय से शुरू किया गया एक कार्यक्रम है।
- 100 करोड़ रु. की आरंभिक धनराशि से राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोढ;
- 100 करोड़ रु. के आबंटन से प्रत्येक किसान को मिशन मोड पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रदान करने की स्कीम। देशों में 100 मोबाइल मृदा परिक्षण प्रयोगशलाएं स्थापित करने के लिए 56 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि आबंटित की गई है।

सहबद्ध क्षेत्र: पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्यपालन

5.41 भारतीय कृषि प्रणाली प्रमुखत: मिश्रित फसल-पशुधन कृषि प्रणाली है, जिसमें पशुधन क्षेत्र, रोजगार, सूखा पसन्द पशुओं और खाद से खेती की आय में मदद मिलती है। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है और यह विश्व उत्पादन का 17% उत्पादन करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान, दुग्ध उत्पादन 137.69 मि. टन के शीर्ष पर था, और इस प्रकार यह दुग्ध-उत्पादन करने वाले 70 मिलियन ग्रामीण परिवारों की आय का दूसरा प्रमुख स्रोत बन गया है। 2.2% विश्व औसत के मुकाबले 4.18 प्रतिशत की औसत वर्षानुवर्ष वृद्धिदर बढ़ती आबादी के लिए दुग्ध और दुग्ध-उत्पादों की उपलब्धता में सत्त वृद्धि दर्शाती है।

5.42 सरकार का ध्यान, व्यावसायिक कृक्कुट उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतियां बनाने के अलावा, परिवार कुक्कुट प्रणाली को मजबूत करने पर है जो आजीविका के मुद्दे का हल करती है। 2013-14 में अंडे का उत्पादन लगभग 73.89 मिलियन था, जबकि कुक्कुट मीट उत्पादन 2.68 मिलियन टन होने का अनुमान है।

5.43 देश के स.घ.उ. में मत्स्यपालन का हिस्सा लगभग 1% और कृषि उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 4.75% है। 2013-14 में कुल मछली उत्पादन 9.58 मिलियन टन था, जो 2012-13 के मुकाबले 5.96% की वृद्धि है। 2014-15 की पहली दो तिमाहियों के दौरान मछली उत्पादन में बढ़ोत्तरी का रुझान है और इसके 4.37 मिलियन टन (अनंतिम) होना अनुमानित है।

5.44 दुग्ध उत्पादन और कुक्कुट क्षेत्र में प्रजातियों व क्षेत्रों में हासिल सफलता का अनुगामन करते हुए आजीविका क्षेत्र की स्थिर और निरंतर वृद्धि के लिए XIIवीं योजना के दौरान 2014-15 में 28,00 करोड़ रु. के अनुमोदित परिव्यय से राष्ट्रीय आजीविका मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन को गुणवत्तापूर्ण फीड और चारे की उपलब्ध ता के सुधार, जोखिम कवरेज, प्रभावी विस्तार, ऋण के उन्नत प्रवाह और पशु धन संगठनों, किसानों/चरवाहों आदि पर फोकस करते हुए स्थायी विकास के उद्देश्य से बनाया गया है। मुद्रास्फीति में प्रोटीन मदों के उच्च योगदान को देखते हुए इस क्षेत्र की वृद्धि दर उपभोग व्यय में इन मदों के बढ़ते हिस्से में प्रतिबिंबित बढ़ती मांग के बराबर होनी चाहिए।

खाद्य प्रबंधन

5.45 खाद्य प्रबंधन का मुख्य नीतिगत लक्ष्य खाद्यान्नों की समय पर और कुशल खरीद व वितरण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, खासतौर पर वंचित लोगों के लिए। इसमें खाद्यान्नों की किसानों से लाभप्रद मूल्यों पर खरीद, बफर स्टॉक बनाना अनुरक्षित रखना, भंडारण, परिवहन और उपभोक्ताओं तक खाद्यान्नों की वाजिब दामों पर वितरण, और खाद्यान्नों के मूल्यों में स्थिरता आते हैं। प्रयुक्त मूल्य लिखत अधिकतम बिक्री मूल्य और केंद्रीय निर्गमन मूल्य (सीआईपी) हैं।

कृषि उपज की मूल्य नीति

5.46 जैसाकि अनिवार्य है, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) तेईस फसलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संस्तुत करता है, लेकिन प्रभावी मूल्य सहायता मुख्यत: गेहूं और चावल के पक्ष में संचालित की जाती है और वह भी चुनिंदा राज्यों में। इससे गेहूं व चावल के पक्ष में अत्याधिक असमान प्रोत्साहन संरचना सृजित होती है। जबकि देश दालों और तिलहनों (खाद्य तेल) के लिए आयात पर निर्भर है, उनकी कीमतें अक्सर न्यूनतम बिक्री मूल्य से कम होते हैं क्योंकि इनकी कोई प्रभावी मूल्य सहायता नहीं होती।

चित्र 5.11: एमएसपी वृद्धि दर में परिवर्तन

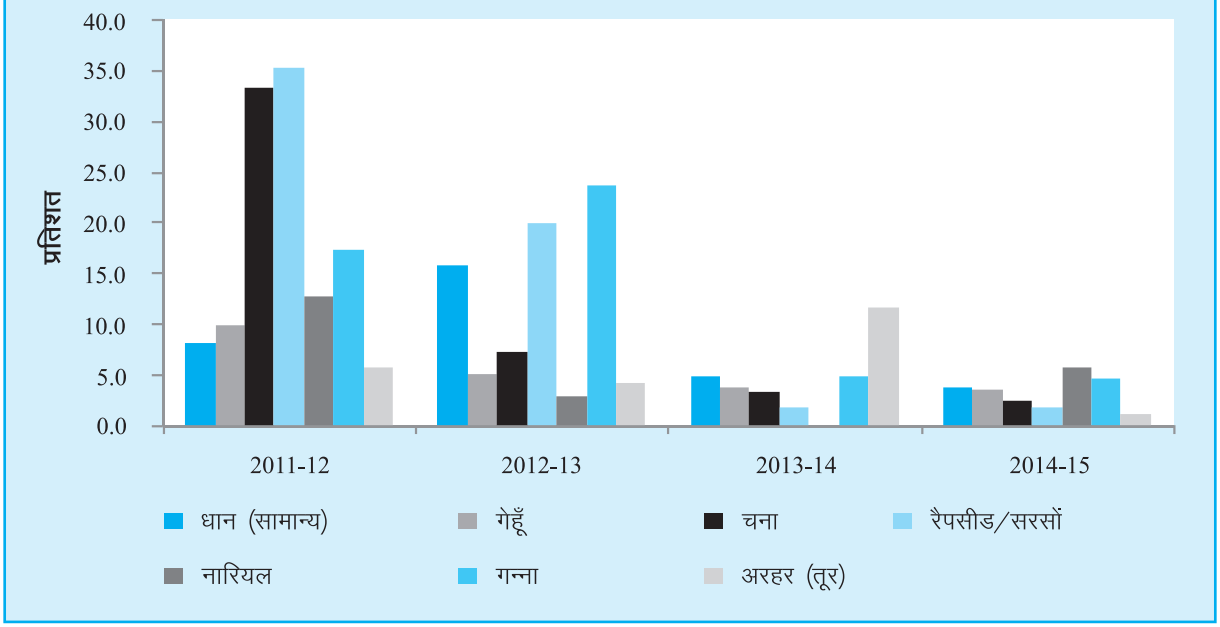

स्रोत : कमीशन फार एग्रीकल्चरल कास्ट्स एण्ड प्राइसेस (सीएसीपी)।

2012-13 से विभिन्न फसलों के एमएसपी की वृद्धि में नरमी आई है।

खरीद

5.47 खरीद और जन वितरण की कुशलता बढ़ाने और स्थानीय किसानों को एमएसपी के लाभ देने के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा विकेन्द्रीयकृत खरीद स्कीम (डीसीपी) अपनाई गई है। केन्द्रीय सरकार सभी राज्य सरकारों से उनके द्वारा डीसीपी स्कीम अपनाने का आग्रह कर रही है ताकि वितरण की लागत बचाई जा सके और अब तक कमजोर क्षेत्रों में किसानों के मूल्य सहायता तंत्र की आउटरीच में सुधार किया जा सके। दैनिक आधार पर खरीद संचालनों संबंधी सूचना के प्रवाह में अंतर की समस्या दूर करने के लिए देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद क्रियाओं की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली (ओपीएमएस) विकसित की गई है।

5.48 दो निर्णय जिनके परिणामस्वरूप: खरीफ विपणन ऋतु (केएसएस) 2014-15 रबी विपणन ऋतु (आरएमएस) 2015-16 से चावल व गेहूं की खरीद और स्टॉक सीमित होंगे: (क) ऐसे राज्यों से सीमित खरीद जो टीपीडीएस/ओडब्ल्यूएस जरूरतों की हद तक एमएसपी के अलावा बोनस की घोषणा कर रहे हैं। बोनस की घोषणा करने वाले गैर-डीसीपी राज्यों के मामले में भारतीय खाद्य निगम इन राज्यों में एमएसपी क्रियाओं में हिस्सा नहीं लेगा। (ख) चावल पर अधिकतम 25% का प्रभार लगाना।

5.49 इस निर्णय से केएमएस 2014-15 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में धान के बारएमएस 2015-16 के उपर बोनस देने के चलन में कमी लाने में सफलता मिली है और उम्मीद है कि इस नीति के मद्देनजर, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य सरकारें भी गेहूं के लिए बोनस देने से बचेंगी। केएमएस 2014-15 में खरीद के स्तर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, दोनों में विगत वर्ष की अपेक्षा कम है और बाजार में प्रतिस्पर्धा फिर से उभर रही है। सारणी 5.6 में प्राप्ति, कुल खरीद तथा स्टाक संबंधी आंकड़े 2003 से दिए गए हैं।

बफर स्टॉक

5.50 केन्द्रीय पूल में अप्रैल, 2005 से मौजूद खाद्यान्नों हेतु बफर मानदंडों में विगत कुछ वर्षों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत खाद्यान्नों की अधिक खरीद और 5.7.2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने की पृष्ठभूमि में संशोधन किया गया है। संशोधित बफर मानदंड सारणी 5.7 में दशाए गए हैं:

सारणी 5.6 : सार्वजनिक वितरण प्रणाली: प्राप्ति, आफ-टेक तथा स्टाक

(मिलियन टन)

वर्ष	प्राप्ति			आफ-टेक			स्टाक		
	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
2003-04	22.9	15.8	38.7	25.0	24.3	49.3	13.1	6.9	20.7
2004-05	24.7	16.8	41.5	23.2	18.3	41.5	13.3	4.1	18.0
2005-06	27.6	14.8	42.4	25.1	17.2	42.3	13.7	2.0	16.6
2006-07	25.1	9.2	34.3	25.1	11.7	36.8	13.2	4.7	17.9
2007-08	28.7	11.1	39.9	25.2	12.2	37.4	13.8	5.8	19.8
2008-09	34.1	22.7	56.8	24.6	14.9	39.5	21.6	13.4	35.6
2009-10	32.0	25.4	57.4	27.4	22.4	49.7	26.7	16.1	43.3
2010-11	34.2	22.5	56.7	29.9	23.1	53.0	28.8	15.4	44.3
2011-12	35.0	28.3	63.4	32.1	24.2	56.3	33.4	20.0	53.4
2012-13	34.0	38.2	72.2	32.6	30.1	62.8	35.5	24.2	59.8
2013-14	31.3	25.1	56.4	29.2	28.2	57.4	30.6	17.8	49.5
2014-15*	16.2	28.0	44.2	4.5	3.8	8.3	23.5	37.3	61.6

स्रोत: खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार नोट: * 9.1.2015 के अनुसार

सारणी 5.7 : बफर स्टाक मानदण्ड में संशोधन (मिलियन टन)

के अनुसार	अप्रैल 2005 से मौजूद	संशोधित
1 अप्रैल	21.2	21.04
1 जुलाई	31.9	41.12
1 अक्तूबर	21.2	30.77
1 जनवरी	25.0	21.41

5.51 चावल और गेहूं के 21.41 मिलियन टन के बफर स्टॉक से (प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी की स्थिति) 1 जनवरी, 2015 को 61.6 मिलियन टन कुल केंद्रीय पूल स्टॉक इस पर विचार करते हुए कि भारतीय खाद्य निगम की खाद्यानों की खरीद, भंडारण और वितरण की आर्थिक लागत लगभग 40-50% खरीद मूल्य से थोडा अधिक है, अतिरिक्त स्टॉक में तालाबंद स्टॉक, विशेषकर पिछले पांच वर्षों से लगातार बंद स्टॉक खाद्य नीति में खामियों को दर्शाता है। इसके कारण भरपूर पैदावार और अतिरिक्त स्टॉक के बावजूद अनाजों की कीमतें बढ़ी हैं।

भारतीय खाद्य निगम पर खाद्यान्नों की आर्थिक लागत

5.52 खाद्यानों की आर्थिक लागत में तीन घटक नामत: केंद्रीय बोनस, यदि लागू हो, सहित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जो मूल्य किसानों का दिया जाता है, खरीद की संख्याओं और वितरण की लागत होते हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान एमएसपी में वद्धि और खरीद की संख्याओं में अनुपातिक वृद्धि और खरीद की संख्याओं में अनुपातिक वृद्धि जैसा सारणी 5.8 में दर्शाया गया है, के कारण गेहूं और चावल दोनों की आर्थिक लागत में काफी बढ़ोत्तरी हुई है।

5.53 उच्च आर्थिक लागत के लिए खुले सिरे की खरीद नीति के व्यापक समीक्षा जरूरी हो गई खासकर उन राज्यों मे जो एमएसपी के ऊपर अधिक बोनस देते हैं और जो अधिक कर एवं संविधिक प्रभार लगाते है। और साथ ही ऐसी भंडारण एवं वितरण नीतियां जो देश को महंगी पड़ रही हैं। इस संबंध में सरकार ने इसकी संचालन दक्षता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार करने की दृष्टि से अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम की पुन संरचना पर विघटित करने के सुझाव देने के लिए श्री शांता कुमार की अध्यक्षता में अगस्त, 2014 को उच्च स्तरीक समिति (एचसीएल) स्थापित की है। उच्च स्तरीय समिति की मुख्य सिफारिशों का सार बॉक्स 5.2 में दिया गया है।

खुला बाजार बिक्री स्कीम (घरेलू)

5.54 भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार की ओर से खुले बाजार के मूल्यों पर नरमी को और अधिशेष स्टॉकों को कम करने पर 2014-15 के दौरान खुले बाजार से बिक्री स्कीम (घरेलू) के तहत घरेलू बाजार में बिक्री के लिए 100 लाख टन गेहूं आबंटित किया गया है। सरकार ने इस वर्ष पूर्व परिणामी से हटकर पहले पुराने स्टॉक की बिक्री को बढावा देने के लिए विभेदक मूल्य नीति अपनाई है। सरकार, जानकर आरक्षित मूल्य, एमएसपी से अधिक निर्धारित कर रही है लेकिन यह गेहूं की अधिग्रहण लागत या आर्थिक लागत से उपयुक्त तौर पर कम है ताकि कटाई के मौसम के दौरान खरीदारों में से जिसमें से गेंहू खरीदने के लिए आकर्षण बना रहे और बाजार में प्रतिस्पधा बनी रहे। इसी के साथ कम खरीद-फरीख्त के मौसम में बाजार के मूल्यों में अधिक बढोत्तरी नहीं होती और मुद्रास्फीति नियंत्रित रहती है।

सारणी 5.8 : चावल तथा गेहूं की आर्थिक लागत (₹ कुन्तल)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14(पी)	2014-15 (स.अ.)
चावल					
खाद्यान्न की पूल की गई लागत	1446.53	1512.20	1633.83	1788.96	1925.52
प्रासंगिक के प्राप्ति	313.09	350.00	383.76	435.13	462.13
वितरण लागत	223.49	260.74	287.28	374.26	430.26
आर्थिक लागत	1983.11	2122.94	2304.87	2598.35	2817.91
गेहूं					
खाद्यान्न की पूल की गई लागत	1064.32	1119.18	1219.41	1273.57	1346.64
प्रासंगिक के प्राप्ति	212.38	235.68	263.35	331.81	339.00
वितरण लागत	217.65	240.39	269.81	326.87	361.92
आर्थिक लागत	1494.35	1595.25	1752.57	1932.25	2047.56

बाक्स 5.2: एफसीआई की पुनर्संरचना के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें

खरीद संबंधी मुद्दे

- एफसीआई को गेहूं, धान और चावल की सभी खरीद क्रियाएं राज्यों को सौंप देनी चाहिए ताकि उन्हें इसमें पर्याप्त अनुभव हो और खरीद के लिए उचित अवसंरचना बनाएं/एफसीआई इन राज्यों मिल मालिक नहीं से केवल अधिशेष (एनएफएसए) के तहत राज्यों की जरूरतें घटाने के बाद) लेगा जिसे अभावग्रस्त राज्यों को हस्तांतरित किया जाएगा। एफसीआई को उन राज्यों की मदद के लिए आगे आना चाहिए जहां किसान हताश होकर एमएसपी से काफी कम मूल्य पर बिक्री करते हैं और जिनमें छोटी जोतों की बहुतायत है।
- केंद्र को राज्यों को स्पष्ट करना चाहिए यदि उनके द्वारा एमएसपी से उपर बोनस दिया जाता है केन्द्र अपने पीडीएस और पीडब्ल्यूएस के लिए राज्य द्वारा आवश्यक परिणाम से अधिक खाद्यान्न केंद्रीय पूल में नहीं लेगा।
- कमीशनों सहित सांविधिक प्रभारों को एमएसपी के 3% अथवा अधिकाधिक 4% तक एक स्थान कम करने की जरूरत है और यह स्वयं एमएसपी में शामिल किया जाना चाहिए (प्रभारों की इस मितव्ययिता के कारण राजस्व में हानि उठाने वाले राज्यों के अगले 3-5 वर्षों के वैविध्यकरण पैकेज के जरिये प्रतिपूर्ति की जा सकती है।
- भारत सरकार को दालों व तिलहनों तथा व्यापार नीति के साथ उनकी एमएसपी नीति डोवटेल के लिए बेहतर मूल्य समर्थन उपलब्ध कराना चाहिए ताकि उनकी लागत उनके एमएसपी से कम न रहे।
- कवर और पिलंथ (सीएपी) भंडारण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे कोई खाद्यान्न स्टॉक अवधि तक सीएपी में न रहे।

पीडीएस और एनएफएसए संबंधी मुद्दे

- पीडीएस और 40 से 50 प्रतिशत की रेंज के लीकेज को देखते हुए भारत सरकार का राज्यों में एनएफएसए हठ जाना चाहिए क्योंकि पूरी तरह से क्मपुट्रीजेशन लाभार्थियों से किसी की सूची नहीं है ताकि सत्यापन किया जा सके और पीडीएस सीरीसाव को रोकने के लिए सतर्कता समितियां गठित नहीं की है।
- जनसंख्या के कवरेज को 40 प्रतिशत के आस-पास लाए जाए।
- बीपीएल परिवार और कुछ उससे उपर के परिवारों को 7 किलो प्रति व्यक्ति दिया जाए।
- केन्द्र द्वारा जारी कीमतों पर अन्तयोदया परिवारों को रु॰ 3/2/1 किलो पर अनाज कुछ समय के लिए दिया जा सकता है लेकिन प्राथमिकता प्राप्त परिवारों के लिए कीमत को एमएसपी से जोड़ा जाए।

भण्डारण एवं आवा-जाही संबंधी मुद्दे:

- एफसीआई को अपने भण्डारण संबंधी प्रचालन विभिन्न एजेंसियों से आउटसोर्स करने चाहिए।
- कवर्ड एण्ड प्लिंथ (कैप) भण्डारण को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाना चाहिए और कैप में तीन महीने से ज्यादा कोई खाद्यान्न भण्डार नहीं रहना चाहिए।
- जहां भी संभव हो कैप के स्थान पर सिलो बैग प्रौद्योगिकी और परंपरागत भंडारण इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

बफर स्टॉक क्रियाओं और नकदीकरण नीति के संबंध में

- डीएफपीडी/एफसीआई को ओएमएसएस अथवा निर्यात बाजारों में स्टॉक के नकदीकरण के सहयोग में काम करना होगा क्रियाएं करनी चाहिए और अपनी एमएसपी नीति या व्यापार नीति से तालमेल करना चाहिए ताकि उनकी बाजार में उतारने की कीमत एमएसपी से कम न हो।
- एफसीआई को ओएमएसएस और निर्यात बाजारों में संचालन के लिए व्यवसाय उन्मुखीकरण के साथ अधिक लचीलेपन की जरूरत है।

किसानों को प्रत्यक्ष सब्सिडी संबंधी : किसानों को प्रत्यक्ष नकद सब्सिडी (लगभग 7000 रु॰/है॰) दी जाए और तदोपरांत उर्वरक क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त किया जाए।

एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण संबंधी:

- एचसीएल पूरी खाद्य प्रबंधन प्रणाली की कुल एंड टू एंड कम्प्यूटरीकरण की सिफारिश करती है जो किसानों से खरीद से शुरू कर, स्टॉकिंग आवाजाही और अंतत टीपीडीएस के जरिये वितरण तक किया जाए।

एफसीआई का नया चेहरा:

- एफसीआई का नया चेहरा खाद्य प्रबंधन प्रणाली में नवाचारों हेतु किसी एजेंसी के सदृश होगा जिसका प्रमुख फोकस खरीद से स्टॉकिंग और उससे आवाजाही व अंतत: टीपीडीएस में वितरण की खाद्य-खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा सृजित करना है। ताकि प्रणाली की समग्र लागतों में काफी कमी आए, हानि समाप्त हो और इससे काफी अधिक किसानों व उपभोक्ताओं का लाभ मिले।

खाद्य सब्सिडी:

5.55 खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दोहरे उद्देश्य है; सब्सिडीकृत खाद्यान्नों के जरिये गरीबों को न्यूनतम पोषण सहायता की व्यवस्था करना और विभिन्न राज्यों में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना। वितरण संबंधी तर्कसंगतता के अपने दायित्व को पूरा करते हुए सरकार खाद्य सब्सिडी देती है। इस कार्यक्रम में 4,50,000 उचित दर दुकानों के माध्यम से सेवाप्राप्त 65 मिलियन से अधिक बीपीएल परिवार कवर है। जबकि गेहूं और चावल की आर्थिक लागत काफी बढी है, 1 जुलाई 2002 से निर्गत मूल्य में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एनएफएसए के कार्यान्वयन के कारण एपीएल और बीपीएल श्रेणियों के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) में और अधिक कमी आई है। अत: सरकार ने टीपीडीएस/एनएफएसए और अन्य पोषण आधारित कल्याण स्कीमों और खुले बाजार की क्रियाओं के तहत वितरण हेतु खाद्यान्नों पर भारी और अधिकाधिक सब्सिडी देना जारी रखा है। विगत कुछ वर्षों से खाद्य सब्सिडी विधेयक से इसमें काफी बढ़ोत्तरी हुई है जिससे सरकार खजाने पर काफी दबाव पड़ा है (सारणी 5.9)

भण्डारण

5.56 30 नवम्बर 2014 के अनुसार खाद्यान्न भण्डारण हेतु उपलब्ध कुल क्षमता 727 लाख मीट्रिक टन थी, जिसमें से कवर गोदाम की 567 लाख मीट्रिक टन की क्षमता तथा 160 लाख मीट्रिक टन क्षमता की सुविधा कवर की गई एवं टिलंथ (सीएपी) को मिलाकर। भंडार गृह क्षमता न केवल क्षमता के संदर्भ में सीमित है वरन कतिपय फसलों के लिए भी सीमित है। भंडारण क्षमता में काफी समय से उत्पादन व मांग में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रहा है। इस पर विचार करते हुए 36 मिलियन टन केवल कवर और भंडारण (सीएपी) है, जिसे वैज्ञानिक भंडारण नहीं माना जा सकता, हमारी सरकारी एजेंसियों के पास उनके द्वारा खरीदे गए गेंहू चावल की आधी मात्रा के लिए भी उपयुक्त भंडारण सुविधा नहीं है। फलों व सब्जियों जैसे जल्दी खराब होने वाली मदों में प्रचलित मौसमी मुद्रास्फीति के मद्देनजर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोई प्रभावी कार्यनीति नहीं है। सभी प्रकार की खाद्य मदों के लिए शीत भंडारण क्षमता महज 29 मिलियन टन है। (योजना आयोग 2012)। अकेले आलू का उत्पादन लगभग 35 मिलियन टन है। भारत में उत्पादित 10% फसलों व सब्जियों के लिए ही शीत भंडारण सुविधा उपलब्ध है (योजना आयोग 2011)। बजट 2014 में वैज्ञानिक भंडार गृह विकसित करने के लिए 5000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त भंडारण क्षमता से 16 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता सृजित हो सकती है। वैज्ञानिक भंडारण क्षमता की जरूरत और उपलब्धता के बीच अंतर को पाटने के लिए वैज्ञानिक भंडारण में निजी निवेश को बढ़ावा देने की नीति महत्वपूर्ण है।

सारणी 5.9 : जारी खाद्य सब्सिडियों का परिणाम

वर्ष	खाद्य सब्सिडी (करोड़ रुपए)	वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)
2005-06	23071.00	-10.39
2006-07	23827.59	3.28
2007-08	31259.68	31.19
2008-09	43668.08	39.69
2009-10	58242.45	33.37
2010-11	62929.56	8.05
2011-12	72370.90	15.00
2012-13	84554.00	16.83
2013-14	89740.02	6.13
2014-15	107823.75*	20.15

स्रोत: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

टिप्पणी: * 9 जनवरी 2015 तक के आंकड़े

कृषि-विपणन सुधार

5.57 बॉक्स 5.3 : में कृषि विपणन में हाल में की गई पहलें दी गई हैं। बजट 2014-15 में राष्ट्रीय बाजार स्थापित करने की जरूरत को स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि राज्य सरकारें निजी बाजार मागें/निजी बाजारों की स्थापना के लिए व्यवस्था करने हेतु अपने संबंधित एपीएमसी अधिनियम का पुन: उद्देश्य परक बनायेंगी। बजट में भी घोषणा की गई है कि राज्य सरकारों को उनकी पैदावार सीध बेचने में किसानों को समर्थ बनाने के लिए शहरी क्षेत्रों में किसान बाजार विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

वस्तु वायदा बाज़ार

5.58 वर्तमान में 113 वस्तुओं में से केवल 43, जो वायदा व्यापार के लिए अधिसूचित हैं, का 4 राष्ट्रीय विनिमय केन्द्रो और 6 वस्तु विशेष विनिमय केन्द्रों में सक्रिय रूप से व्यापार होता है। कृषि वस्तुओं में वायदा व्यापार 2014-15 में दिसम्बर, 2014 तक कुल टर्नओवर का 18.37 प्रतिशत रहा, इसमें खाद्य मदें (रिफाइन्ड सोया

बॉक्स 5.3 : कृषि विपणन में नई पहल

(i) डीएसी ने मॉडल अधिनियम के उपबंधों के परे कार्य करने के लिए राज्यों को एक व्यापक सलाह जारी की है और समस्त राज्य को एक ही बाजार घोषित किया है जिसके तहत समस्त राज्य में एक ही लाइसेंस वैध है और राज्य के भीतर कृषि उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने संबंधी सभी अड़चनों को समाप्त करने की सलाह दी गई है।

(ii) ई-प्लेटफार्म के माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय सामूहिक बाजार विकसित करने को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए की कृषि तकनीकी अवसंरचना कोष एग्री-टेक अवसंरचना कोष) के माध्यम से ''राष्ट्रीय कृषि मण्डी को बढ़ावा'' देने संबंधी एक केन्द्रीय सेक्टर की स्कीम का विभाग ने अनुमोदन किया है, जिसका क्रियान्वयन 2014-15 से 2016-17 के दौरान किया जाना है। इस स्कीम के अंतर्गत सभी राज्यों में कृषि विपणन के लिए सामूहिक ई-प्लेटफार्म के क्रियान्वयन के जरिए राष्ट्रीय बाजार की ओर अग्रसर होने के लिए एटीआईएफ का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

(iii) केन्द्र सरकार के अनुरोध पर अनेक राज्य सरकारों ने फलों और सब्जियों के बाजार को एपीएमसी अधिनियम के दायरे से बाहर रखा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने 02.09.2014 को अधिसूचना जारी करके फलों और सब्जियों के संबंध में इस दिशा में प्रयास किया है, जिसके द्वारा फलों और सब्जियों के विनियमन को पुन:परिभाषित बाजार के दायरे/एपीएमसी, एमएनआई, आजादपुर, एपीएमसी, केशोपुर और एपीएमसी शाहदरा के यदि/उपयार्ड क्षेत्र से हटा दिया गया है। कृषि मण्डी, लघु कृषक एग्री विजनेस कन्सीर्टियम विकास ने प्रक्रिया में अनावश्यक मध्यस्थता को पूरी तरह हटाने या कम करके संभावित क्रेताओं के अपने उत्पादों को सीधे बेचने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों को एक मंच प्रदान करने की दृष्टि से दिल्ली में कृषक मण्डी विकसित करने के लिए पहल की है।

स्रोत : डीएसी।

आयल, सोयाबीन, चना, रैपसीड/सरसों बीज तथा कोरिएन्डर) 50.01 प्रतिशत और खाद्य-भिन्न मदें (अरण्डी के बीज तथा कपास) 24.14 प्रतिशत था। बाकी (81.63) प्रतिशत कारोबार सोना-चांदी, धातुओं ऊर्जा संविदाओं का था। वित्त मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई, जिसने अप्रैल, 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें पाया गया कि वस्तु वायदा बाजार की बचाव करने की क्षमता कम है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वस्तुओं के वायदा बाजार का विनियमन अच्छा हो और भारत वस्तु वायदा बाजार अंतरराष्ट्रीय विनियामक अपेक्षाओं का पालन करे, वस्तु वायदा बाजार के लिए विनियमाक ढांचे को यथाशीघ्र सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

व्यापार नीति

5.59 कृषि वस्तुओं के संबंध में व्यापार नीति घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिति के प्रत्युत्तर में समय-समय पर बदलती रहती है। मूल्य वर्द्धित उत्पादों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने, रोजगार का सृजन करने और निर्यात को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कुछ घरेलू उत्पादों में आधारभूत सीमा-शुल्क को कम कर दिया/हटा दिया गया था। अवमूल्यन का सामना करने और घरेलू किसानों एवं उद्योगों के हितों का संरक्षण करने के लिए चीनी और खाद्य तेल जैसे कुछ कृषि उत्पादों का आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) बढ़ा दिया गया। घरेलू खाद्य तेल बीज/पार्म के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इससे तिलहन की कीमतें एमएसपी से नीचे आएंगी जिनका सरकारी एजेंसियों द्वारा भण्डारण अपेक्षित होता है। सीमा शुल्क विभाग की दिनांक 21 अगस्त, 2014 की अधिसूचना के तहत चीनी पर शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तथा सीमा शुल्क विभाग की दिनांक 24 दिसंबर, 2014 अधिसूचना के तहत कच्चा तेल एवं रीफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को क्रमश: 2.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

5.60 दालों के निर्यात की मांग लगातार बढ़ रही है। इससे किसानों को दाल की खेती में निवेश करने का प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही अत्यधिक आयात को रोकने के लिए उपयुक्त शुल्क ढ़ांचा बनाना होगा।

5.61 कृषकों को फायदा पहुंचाने तथा कृषि प्रसंस्करण सेक्टर के विकास को प्रोत्साहित करने एवं कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में निम्नलिखित नीतिगत परिवर्तन किए गए:

- 5 कि.ग्रा. तक ब्रांडिड उपभोक्ता पैक में खाद्य तेल के निर्यात को दिनांक 30 अप्रैल, 2014 की डीजीएफटी की अधिसूचना द्वारा 1100 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य पर अनुमति दी गई थी।

- काबुली चना का निर्यात और प्रतिवर्ष 10,000 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन की दर से जैविक दालों का निर्यात अनुमत किया गया।
- 2011 से, चावल और गेहूं का निर्यात करने की अनुमति दी गयी।
- फरवरी, 2013 से प्रसंस्कृत और/या मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों का निर्यात सीमित करने/प्रतिबंधों से छूट दी गई यहां तक कि उनका आधार उत्पादन निर्यात प्रतिबंध के अधीन है।
- कपास का निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त है।

5.62 कृषि के लिए निर्यात नीति बहुधा मूल्य समर्थन और मूल्य स्थिरीकरण के साधन के रूप में माना जाता है। तदर्थ आधार पर मूल्य गिरने के प्रत्युत्तर में कृषि उत्पादों के लिए टैरिफ में वृद्धि करने की अनुशंसा की जाती है। कृषि उत्पादों की आयात नीति में सुधार की अवश्यकता है। आयात के लिए प्रयुक्त टैरिफ को अन्तराचक्रीय तरीके से अंतरराष्ट्रीय मूल्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि आयातित वस्तुओं के लिए बढ़े हुए मूल्य गिरकर ज्ञात दायरे में आ जाए। यह कृषकों को वस्तुओं के मूल्य में तेजी से गिरावट के प्रतिकूल प्रभाव से संरक्षण प्रदान करेगा और कृषि में दीर्घावधिक निवेश सुसाध्य बनाएगा। जबकि व्यापार नीति को स्थिर होना चाहिए, इसे तेजी से निर्यातक देशों के निर्यात शुल्क संरचना में परिवर्तन प्रत्युत्तर में फुर्तीला होना चाहिए, जो मूल्यवर्धित उत्पादों को कच्ची सामग्री और तैयार उत्पादों के बीच हमारे शुल्क विभेदक को निरस्त करते हुए बेचने का लक्ष्य रखते हैं।

कृषि व्यापार

5.63 भारत कुछ फसलों अर्थात् कपास, चावल, मांस तेल, काली मिर्च और शर्करा में महत्वपूर्ण कृषि निर्यातक के रूप में उभरा है। विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी के अनुसार भारत के कृषि का निर्यात का हिस्सा और विश्व व्यापार में निर्यात 2013-14 में क्रमशः 2.69% तथा 1.31% था। कृषि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि निर्यात 2008-09 के 9.10% से बढ़कर 2013-14 में 14.05% हो गया है। इसी अवधि के दौरान कृषि स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कृषि आयात 3.94% से बढ़कर 5.50% हो गया है।

संभावनाएं और चुनौतियां

5.64 मुद्रास्फीति के वर्तमान स्तर से बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है क्योंकि:

(क) कमजोर वैश्विक मांग एवं वर्धित आपूर्ति के कारण आगामी महीनों में तेल की कीमतें सुखद स्थिति में रह सकती हैं।

(ख) वैश्विक वस्तु मूल्य, हाजिर और वायदा दोनों सामान्य तौर पर गिर रहे हैं। वैश्विक वस्तु मूल्य कम अंतरराष्ट्रीय मांग और सुखद आपूर्ति के कारण 2015 में कमजोर रह सकता है।

(ग) अधिक ग्रामीण मजदूरी, एमएसपी का उच्च स्तर, और निविष्टि लागत में वृद्धि जैसे कारक पिछले कुछ वर्षों में उच्च मुद्रास्फीति के कारण थे। वर्तमान में, इन सभी प्रेरकों की वृद्धि काफी धीमी पड़ गई है और इसके परिणामस्वरूप खाद्य मुद्रास्फीति को सीमाओं के भीतर रखा जा सकता है।

5.65 कृषि और खाद्य सेक्टर के लिए अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार, सिंचाई उर्वरक और मृदा जल और वस्तुओं के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं, भण्डागारण, शीतल भण्डारण में बड़े निवेश करने की आवश्यकता है। सब्सिडियों का यौक्तिकीकरण और लाभार्थियों को बेहतर लक्ष्य बनाने से सरकारी निवेश के संसाधनों का अंश सृजित होगा। राज्यों में फसल की उपजों में बड़ा अंतर हैं। यहां तक कि सबसे अच्छे राज्यों का विभिन्न फसलों में बहुत कम उपज है। जब हम विश्व के श्रेष्ठ राज्य से तुलना की जाती है। यह जलवायु क्षेत्र में व्यावहार्य सीमा तक फसल-उपज के अन्तर को समाप्त करके उत्पादन बढ़ाने का सुअवसर प्रदान करता है।

5.66 अभी तक कृषि के लिए सरकारी व्यय को फोकस सब्सिडियों के प्रावधान पर रहा है (कृषि में सरकारी खर्च खाद्य और उर्वरक सब्सिडियों महज एक चौथाई है, सीएसीपी खरीफ रिपोर्ट 2014-15) और अब समय आ गया है कि इसे उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए निवेश हेतु अंतरित किया जाए। शान्ता कुमार समिति की सिफारिशें खाद्य नीति की भावी योजना के लिए उपयोगी सुझाव प्रदान करती हैं। कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय सामूहिक बाजार बनाने के लिए सभी राज्यों को राजी करने हेतु हर प्रयास किया जाना चाहिए। विभिन्न नीतियों से उभरने वाली विकृतियों में बिजली और पानी के लिए प्रयोक्ता प्रभार से छूट को हटा दिया जाना चाहिए।